



भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

[भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984
के तहत स्थापित वैधानिक निकाय]

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

[STATUTORY BODY ESTABLISHED UNDER
INDIAN VETERINARY COUNCIL ACT, 1984]

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2023-2024

ए- विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी
कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066

A- Wing, IInd Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	1
2.	परिषद् का शासनादेश	3
3.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों की सूची	4
4.	परिषद् की विभिन्न समितियों की संरचना	6
5.	2023-24 के दौरान परिषद् तथा इसकी समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की सूची	8
6.	2023-24 के दौरान उपलब्धियां	8
7.	राजभाषा का कार्यान्वयन	14
8.	पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम (बी.वी.एससी. एवं ए.एच.), 2023 के न्यूनतम मानकों का मसौदा तैयार करना	15
9.	29.04.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन	16
10.	विभाग के साथ परस्पर संपर्क	18
11.	अदालती मामले	18
12.	परिषद् का बजट	20
13.	परिषद् के खातों की लेखापरीक्षा	20
14.	विश्वविद्यालयों के साथ मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची, जिनकी बी.वी.एससी एवं ए.एच. डिग्री भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में शामिल है (31.03.2024 तक)	21
15.	भावी कार्य	26
16.	परिषद् के वार्षिक विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	28
17.	वर्ष 2023-24 के लिए परिषद् के वित्तीय विवरण	32

1. परिचय

पशु चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् और राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना और पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर रखने के लिए तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का न. 52) को 1984 में बनाया गया था तथा 21 अगस्त, 1984 को भारत के अतिसाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 लागू करने के पश्चात, केंद्र सरकार (कृषि मंत्रालय) द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1989 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. संख्या 2051 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के प्रावधानों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1985 के नियम 23 के अनुसार पहली बार सदस्यों को मनोनीत करके भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का गठन किया गया। तदनंतर, उक्त अधिनियम के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर परिषद् के लिए सदस्यों का चुनाव और नामांकन किया जाता रहा है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् एक निगमित निकाय है जिसमें 27 सदस्य शामिल हैं, इनमें से- पांच सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से मनोनीत किया जाता है, जहाँ यह अधिनियम लागू है; चार सदस्यों को उन राज्यों के पशु चिकित्सा संस्थानों के अध्यक्षों में से चुना जाता है, जहाँ यह अधिनियम लागू है; एक सदस्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मनोनीत किया जाता है; एक सदस्य केंद्र सरकार के पशुपालन से सम्बद्ध मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है; एक सदस्य को भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा मनोनीत किया जाता है; एक सदस्य को उन राज्यों की पशु चिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से चुना जाता है जहाँ यह अधिनियम लागू है; और एक सदस्य उन राज्यों की पशु चिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से मनोनीत किया जाता है जहाँ यह अधिनियम लागू है। ग्यारह सदस्यों का निर्वाचन भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर में दर्ज चिकित्सकों में से किया जाता है। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार एवं सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् परिषद् के पदेन सदस्य होते हैं।

परिषद् को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, परिषद् ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति के साथ, अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ती हेतु निम्नलिखित विनियम बनाए हैं:-

1. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और अभ्यागत) विनियम, 1991.
2. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (सामान्य) विनियम, 1991.
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पंजीकरण) विनियम, 1992.
4. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानदंड) विनियम, 1992.
5. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (शुल्क एवं भत्ते) विनियम, 1992.
6. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव) विनियम, 1995.
7. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की सेवाओं के नियम तथा शर्तें) विनियम, 2001.
8. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2001.
9. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2005, और
10. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड) - डिग्री पाठ्यक्रम (बी.वी.एससी और ए.एच.) विनियम, 2016.

परिषद् ने, अपने संविधिक दायित्वों का ध्यान रखते हुए, भारतीय पशु चिकित्सकों का रजिस्टर तैयार किया है जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम हैं, जिनके पास मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हताएं हैं और जिनके नाम इस समय उन राज्यों के राज्य पशु-चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हैं, जहाँ यह अधिनियम लागू है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की पशु चिकित्सा परिषदों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर वर्ष में एक बार रजिस्टर के अनुपूरक प्रकाशित किये जाते हैं।

देश में पशु चिकित्सा पद्धति को विनियमित करने के लिए परिषद् ने पशु चिकित्सा पद्धति विनियमन का मसौदा तैयार किया है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सौंप दिया है। इन विनियमों के क्रियान्वयन से, परिषद् पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार, एकरूपता लाने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम होगी।

परिषद् द्वारा निर्मित पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड - डिग्री पाठ्यक्रम (बी.वी.एससी और ए.एच.) विनियम, 2016 के माध्यम से देश के सभी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानदंडों की डिग्री कोर्स स्तर पर एकरूपता बनाए रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, इन विनियमनों का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के

लिए परिषद् पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के बुनियादी ढाँचे, जनशक्ति, उपस्कर, पशुधन फार्मों, पशु चिकित्सा के अध्यापन के लिए क्लिनिकल परिसर इत्यादि की उपलब्ध सुविधाओं और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निरीक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से समय-समय पर परीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण कराती है।

परिषद्, पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड - डिग्री पाठ्यक्रम (बी.वी.एससी. और ए.एच.) विनियम, 2016 के विनियम 7(8) के प्रावधानों के अनुसार, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.वी.एससी और ए.एच.डिग्री कोर्स की कुल सीटों में से 15% सीटों को भरने के लिए काउंसिलिंग का आयोजन करती है।

2. परिषद् का शासनादेश

- ❖ भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर को तैयार करना और उसका रखरखाव करना जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम शामिल किये जाते हैं, जिनके पास मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अहर्ताएं हैं और जिनके नाम इस समय उस राज्य के पशु चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हैं जहाँ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 लागू है।
- ❖ देश में पशु चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना।
- ❖ उन राज्यों में जहाँ यह अधिनियम लागू है, पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अहर्ताएं प्रदान के लिए, पशु चिकित्सा शिक्षा के अनिवार्य न्यूनतम मानदंड निर्धारित करना।
- ❖ भारत में पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा स्वीकृत की गई पशु चिकित्सा अहर्ताओं को मान्यता प्रदान करने या मान्यता वापस लेने की अनुशंसा करना।
- ❖ पशु चिकित्सकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानकों को निर्धारित करना।
- ❖ पशु चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अन्य देशों में स्थित संस्थानों से उनकी अहर्ताओं के संदर्भ में उनकी मान्यताओं के लिए पारस्परिक आधार पर बातचीत करना।
- ❖ केन्द्रीय और राज्य सरकारों को पशु चिकित्सा व्यवसाय और शिक्षा के संबंध में सभी विनियमनकारी मामलों पर परामर्श देना।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद् के वार्षिक खातों की, प्रति वर्ष, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

द्वारा अथवा इस कार्य के लिए उनके द्वारा उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से लेखापरीक्षा कराना अनिवार्य होता है। तदनुसार, परिषद् के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य और जल संसाधन), 8वीं एवं 9वीं मंजिल, सीएजी एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। लेखा-परीक्षित खातों को लेखा-परीक्षा प्रमाण पत्र और परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को सौंप दिए जाते हैं। परिषद् की पिछली, अर्थात् वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट को लेखा-परीक्षित खातों और लेखा-परीक्षित रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों पटल पर (राज्य सभा में 09.08.2024 को और लोक सभा में 06.08.2024 को) रखा गया।

परिषद् द्वारा अब भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों और लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र सहित अपनी 32वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों की सूची:

क्र.सं.	सदस्यों का नाम और पता	सदस्यता
1.	डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, 693, रुचि लाइफस्केप्स, जाटखेड़ी, हुज़ूर, भोपाल-462026, मध्य प्रदेश	अध्यक्ष (14.01.2024 तक)
2.	डॉ. प्रदीप कुमार यादव, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय पशु सुविधा, अंसारी नगर, एम्स, नई दिल्ली।	उपाध्यक्ष (14.01.2024 तक)
3.	डॉ. अमित नैन, ग्राम बोदीवाला पीठा, पी.ओ. खुल-खेड़ा, तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब-152121	सदस्य
4.	डॉ. देवी शंकर राजोरिया, 42, उषा विहार, त्रिवेणी नगर के पास, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर-302018, राजस्थान	सदस्य
5.	डॉ. इंगले संदीप विनायकराव मौली हाउस, शंकर नगर के पास, बालाजी नगर, अमरावती, महाराष्ट्र - 444606	सदस्य

6.	डॉ. अरुण टी.आर., टेकापल्ली हाउस, डाकघर वतनपल्ली, त्रिशूर, केरल - 680614	सदस्य
7.	डॉ. रमेश आर., नंबर 4 ई, कृष्णासामी स्ट्रीट 1 क्रॉस, न्यू पीईटी, कृष्णागिरी, तमिलनाडु - 635001	सदस्य
8.	डॉ. कंधाराजू एल., 408, व्यालिकवल, एचएसबीसी, विनायक पार्क से आगे, विजयनगर, बैंगलोर, कर्नाटक-560040	सदस्य
9.	डॉ. विजय कुमार झा, फ्लैट नंबर 202, सावित्री रेजीडेंसी, रोड नंबर 10, ईस्ट पटेल नगर, पटना, बिहार-800023	सदस्य
10.	डॉ. गुरुचरण दत्ता, ग्राम इंडस (हजरपारा), जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल - 722205	सदस्य
11.	डॉ. बी.एस. लौरा निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
12.	डॉ. फाल्गुनी ठाकुर निदेशक, पशुपालन विभाग गुजरात सरकार	सदस्य
13.	डॉ. राकेश सिंह निदेशक, पशुपालन विभाग नई दिल्ली	सदस्य
14.	डॉ. आर.के. मेहिया निदेशक, पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	डॉ. नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़	सदस्य (16.07.2023 तक)

16.	डॉ. सीता प्रसाद तिवारी कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
17.	डॉ. एन. एच. केलावाला, कुलपति, कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य (24.10.2023 तक)
18.	डॉ. बी.एन. त्रिपाठी, डीडीजी (पशु विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली	सदस्य (23.06.2023 तक)
19.	डॉ. अभिजीत मित्रा पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	पदेन सदस्य
20.	डॉ. सुलेखा एस.एल. सहायक आयुक्त (एलएच), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
21.	डॉ. डालचंद वर्मा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, लखनऊ	सदस्य

4. (क) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 12(1) के उपबंधों के अनुसार परिषद् द्वारा गठित विभिन्न समितियों की संरचना इस प्रकार है:-

कार्यकारी समिति (14.01.2024 तक)

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. डॉ. उमेश चंद्र शर्मा | - | अध्यक्ष, भा.प.चि.प. |
| 2. डॉ. प्रदीप कुमार यादव | - | उपाध्यक्ष, भा.प.चि.प. |
| 3. डॉ. इंगले संदीप विनायकराव | - | सदस्य |
| 4. डॉ. अमित नैन | - | सदस्य |
| 5. डॉ. आर. रमेश | - | सदस्य |
| 6. डॉ. एन.एच. केलावाला | - | सदस्य (24.10.2023 तक) |
| 7. डॉ. सुलेखा एस.एल. | - | सदस्य |
| 8. डॉ. एन.पी. दक्षिणकर | - | सदस्य (16.07.2023 तक) |

शिक्षा समिति (14.01.2024 तक)

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. डॉ. एन.पी. दक्षिणकर | - | सदस्य (26.07.2023 तक) |
| 2. डॉ. एन.एच. केलावाला | - | सदस्य (24.10.2023 तक) |
| 3. डॉ. बी.एन. त्रिपाठी | - | सदस्य (23.06.2023 तक) |
| 4. डॉ. सीता प्रसाद तिवारी | - | सदस्य |

वित्त समिति (14.01.2024 तक)

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. डॉ. कंधाराजू एल | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. गुरुचरण दत्ता | - | सदस्य |
| 3. डॉ. अरुण टी.आर. | - | सदस्य |
| 4. डॉ. बी.एस. लौरा | - | सदस्य |
| 5. डॉ. राकेश सिंह | - | सदस्य |

पंजीकरण समिति (14.01.2024 तक)

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1. डॉ. गुरुचरण दत्ता | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. देवी शंकर राजोरिया | - | सदस्य |
| 3. डॉ. विजय झा | - | सदस्य |
| 4. डॉ. अरुण टी.आर. | - | सदस्य |

अनुशासनात्मक/संपर्क समिति (14.01.2024 तक)

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 1. डॉ. बी.एन. त्रिपाठी | - | सदस्य (23.06.2023 तक) |
| 2. डॉ. विजय झा | - | सदस्य |
| 3. डॉ. आर के मेहिया | - | सदस्य |
| 4. डॉ. फाल्गुनी ठाकुर | - | सदस्य |

विनियमन समिति (14.01.2024 तक)

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1. डॉ. प्रदीप कुमार यादव | - | उपाध्यक्ष, वीसीआई |
| 2. डॉ. सुलेखा एस.एल. | - | सदस्य |
| 3. डॉ. आर के मेहिया | - | सदस्य |
| 4. डॉ. फाल्गुनी ठाकुर | - | सदस्य |

5. परिषद् तथा इसकी समितियों की 2023-24 के दौरान आयोजित बैठकों की सूची:-

क्र.सं.	परिषद् /समितियां	बैठक की तिथि
1	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्	22.05.2023, 27.06.2023, 31.07.2023, 28.08.2023, 27.09.2023,
2	कार्यकारिणी समिति	12.05.2023, 15.06.2023 26.06.2023, 17.07.2023 22.08.2023, 26.09.2023

6. वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्धियां:

6.1 पंजीकरण

(क) भारतीय पशु चिकित्सक रजिस्टर के अनुपूरक-2023 का प्रकाशन (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023)

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 23 के उपबंधों के अनुसार, परिषद् ने भारतीय पशु चिकित्सा पेशेवरों के रजिस्टर 2023 का अनुपूरक तैयार किया जिसमें 3247 ऐसे पशु चिकित्सकों के नाम शामिल हैं, जिनके पास अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूचियों में निहित मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अहर्ताएं हैं, और जिनके नाम इस समय उन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की पशु चिकित्सा परिषदों में दर्ज हैं जहाँ यह अधिनियम लागू है। नामों को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन के लिए प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया और उनको राजपत्र अधिसूचना संख्या 788 के माध्यम से 06.11.2023 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III, खंड -4) में प्रकाशित किया गया।

(ख) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के साथ पंजीकरण

परिषद् ने ऐसे 1322 पशु चिकित्सा पेशेवरों का पंजीकरण किया जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 24 और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पंजीकरण) विनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में अपना नाम पंजीकृत करने के इच्छुक थे। तथापि, उक्त पंजीकरण से पूर्व राज्य/संघ राज्य-

क्षेत्रों की पशु चिकित्सा परिषदों में पंजीकरण से संबंधित प्राथमिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर लिया गया।

(ग) पंजीकृत पशु चिकित्सा पेशेवरों के पंजीकरण का स्थानांतरण

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 52 के अनुसार, पंजीकृत पशु चिकित्सा पेशेवरों के पंजीकरण को एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित कराने का प्रावधान है। वर्ष के दौरान, परिषद् को पशु चिकित्सा व्यवसायियों से एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरित करने के लिए 751 आवेदन प्राप्त हुए। परिषद् ने संबद्ध राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र परिषदों को, उपर्युक्त धारा में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार, पशु चिकित्सा पेशेवरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के स्थानांतरित हेतु निर्देश जारी किए।

6.2 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक मानदंडों का विनियमन

(क) पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण

देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानदंडों को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम स्तर - डिग्री कोर्स (बी.वी.एससी एवं ए.एच.) विनियम, 2016 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिषद् समय समय पर, बी.वी.एससी एवं ए.एच. की डिग्री प्रदान करने के लिए दी जाने वाली पशु चिकित्सा शिक्षा और परीक्षाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण कराती है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और अभ्यागत) विनियम, 1991 के अनुसार, निरीक्षकों द्वारा बताई गई कमियों/अपर्याप्तताओं पर विश्वविद्यालयों की टिप्पणियाँ प्राप्त की गईं और इन रिपोर्टों की विश्वविद्यालयों की टिप्पणियाँ के साथ परिषद् द्वारा जांच की गई। विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ती के लिए, इस संबंध में लिए गए सभी निर्णयों को विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों के साथ बातचीत करके लागू किया गया।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, परिषद् ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन/से मान्यता प्राप्त निम्नलिखित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानदंडों की उपयुक्तता की जांच के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कराया, जिनमें पशु चिकित्सा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा,

जनशक्ति, उपस्कर, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं तथा बी.वी.एससी एवं ए.एच. डिग्री प्रदान करने के लिए होने वाली परीक्षाओं के आयोजन की सुविधाएं शामिल हैं:-

1. महाविद्यालयों का निरीक्षण:

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण की अवधि
1.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज, बिहार	03-04 अप्रैल, 2023
2.	पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय, श्री गंगानगर, राजस्थान	13-14 जून, 2023
3.	महात्मा गांधी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर	13-14 जून, 2023
4.	एम.आर. पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, हसनपुर, झज्जर (हरियाणा)	13-14 जून, 2023
5.	भूमिका पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, महेंद्रगढ़	01-03 जुलाई, 2023
6.	एम.बी. पशु चिकित्सा महाविद्यालय, डूंगरपुर	10-11 अक्टूबर, 2023

2. अभ्यागतों द्वारा महाविद्यालयों का निरीक्षण:

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण की अवधि
1.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आर.के. नगर, त्रिपुरा	20 - 21 अप्रैल, 2023
2.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या	01 - 02 मई, 2023
3.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान स्कूल, गजपति, ओडिशा	17 - 18 मई, 2023
4.	अपोलो कॉलेज ऑफ वेटेनरी मेडिसिन, जयपुर	23-24 मई, 2023
5.	मुंबई पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई	05-06 जून, 2023
6.	नागपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय, नागपुर	05-06 जून, 2023
7.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, परभणी	05-06 जून, 2023
8.	के.एन.पी. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, सतारा	05-06 जून, 2023
9.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, उदगीर	05-06 जून, 2023
10.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रांची	12-13 जून, 2023
11.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	20-21 जुलाई, 2023
12.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु	20-21 जुलाई, 2023
13.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा	27-28 जुलाई, 2023
14.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	27-28 जुलाई, 2023

15.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, उदयपुर	27-28 जुलाई, 2023
16.	स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर	27-28 जुलाई, 2023
17.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज, बिहार	08-09 अगस्त, 2023

6.3 पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता हेतु आवेदन की जांच

केंद्र सरकार ने धारा 64(1) के साथ पठित धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा योग्यता की मान्यता और गैर-मान्यता की प्रक्रिया) नियम, 2017 तैयार किए हैं। पशु-चिकित्सा महाविद्यालय या पशु-चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए आवेदन आवेदक द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को उपरोक्त नियमों में निर्धारित फॉर्म-I में प्रथम एवं द्वितीय बी.वी.एस. एवं ए.एच. प्रोग्राम में प्रवेश हेतु एवं अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है। अनुज्ञा पत्र का नवीकरण तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए फॉर्म-X में आवेदन करना होता है और बी.वी.एससी. एवं ए.एच. योग्यता को मान्यता प्राप्त करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को फॉर्म-XI में आवेदन किए जाते हैं।

ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार ऐसे सभी आवेदन पत्रों को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत जांच एवं सिफारिश करने हेतु भेजती है।

वर्ष के दौरान, शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभाग से परिषद को कुल 18 आवेदन (फॉर्म-I में 11 और फॉर्म-XI में 7) प्राप्त हुए। विस्तृत सूची निम्न है:-

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार से प्राप्त फॉर्म-I में आवेदनों की सूची:

क्र. सं.	महाविद्यालय/प्रबंधन का नाम	निजी/ सरकारी	डीएचडी के माध्यम से वीसीआई में आवेदन प्राप्त होने की तिथि
1.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अथानी; कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर के अंतर्गत	सरकारी	03.8.2023
2.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, दतिया, मध्य प्रदेश; रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी (यूपी) के अंतर्गत	सरकारी	18.8.2023
3.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय,	सरकारी	31.8.2023

	अकोला; महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर के अंतर्गत		
4.	एस.एम. पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशु अनुसंधान महाविद्यालय, पाली इंगरा, मथुरा, के.एम. विश्वविद्यालय, मथुरा से संबद्ध	निजी	17.8.2023
5.	पशु चिकित्सा विज्ञान स्कूल, चूरू, ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू, राजस्थान के अंतर्गत	निजी	18.8.2023
6.	श्री विनायक पशु-चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालय, नायला, जयपुर, राजस्थान; राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबद्ध	निजी	31.08.2023
7.	येनेओप्या पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मैंगलोर, कर्नाटक येनेओप्या (मानद विश्वविद्यालय, मैंगलुरु से संबद्ध)	निजी	04.9.2023
8.	जेआईएस कॉलेज ऑफ पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, मगरा, हुगली, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता से संबद्ध	निजी	31.8.2023
9.	सनराइज पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, बागड़ राजपूत, अलवर, राजस्थान, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर के अंतर्गत	निजी	04.9.2023
10.	वैद्या पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, बोरुदा, ता.- संतलपुर, जिला पाटन, कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर से संबद्ध	निजी	04.9.2023
11.	पशु चिकित्सा विज्ञान स्कूल, मंडी, अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक, तहसील चच्योट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत	निजी	04.9.2023

अंतिम मान्यता के लिए अनुशंसा हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार से प्राप्त फॉर्म-XI में आवेदनों की सूची

क्र. सं.	महाविद्यालय/प्रबंधन का नाम	निजी/ सरकारी	डीएचडी के माध्यम से वीसीआई में आवेदन प्राप्त होने की तिथि
1.	एम.बी. पशु चिकित्सा महाविद्यालय, इंगरपुर, राजस्थान	निजी	01.4.2023

2.	संस्कारम पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, तालुका-खीरी, पटुदा, झज्जर, हरियाणा	निजी	04.9.2023
3.	एम.आर. पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, गाँव व डाकघर – हसनपुर, जिला – झज्जर, हरियाणा	निजी	04.9.2023
4.	आर.आर. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, एनएच – 12, देवली, टोंक, राजस्थान	निजी	04.9.2023
5.	महात्मा गांधी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर	निजी	04.9.2023
6.	शौरभ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, खेड़ा, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान	निजी	04.9.2023
7.	पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय, श्री गंगानगर, राजस्थान	निजी	04.9.2023

इन आवेदनों की जांच परिषद द्वारा आईवीसी अधिनियम, 1984 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई।

6.4 बी.वी.एससी एवं ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा की 15% सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का आयोजन

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने वर्ष 2023 के दौरान भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.वी.एससी. एवं ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा की 15% सीट भरने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित एनईईटी (यूजी)-2023 प्रवेश परीक्षा मेरिट सूची का उपयोग करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त सीटों को भरने के लिए, परिषद ने एक विज्ञापन जारी किया और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की। इसके जवाब में 5194 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया। विभिन्न मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.वी.एससी. और ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों को मेरिट, पसंद और सीटों की उपलब्धता के अनुसार 744 सीटें आवंटित की गईं।

6.5 व्यावसायिक आचरण संबंधी विनियम

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार पशु चिकित्सा व्यवसायियों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता विनियम, 1992 तैयार किए जिन में निर्दिष्ट किया गया है कि इन विनियमों के किस प्रकार के उल्लंघन को व्यावसायिक दुराचरण माना जाएगा। राज्य पशु चिकित्सा परिषदों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है और फिर अपनी अनुशासनात्मक समिति के माध्यम से ऐसे मामलों का परीक्षण किया जाता है। पंजीकृत पशुचिकित्सा चिकित्सकों के विरुद्ध परिषद द्वारा प्राप्त शिकायतों को मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य पशुचिकित्सा परिषदों को भेजा जाता है।

परिषद को पंजीकृत पशु चिकित्सकों के खिलाफ 48 शिकायतें प्राप्त हुईं। मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित राज्य पशु चिकित्सा परिषदों को भेजा गया।

6.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई

जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनिवार्य है, परिषद की आधिकारिक वेबसाइट को, इस अधिनियम के तहत जनता के लाभ के लिए विस्तृत नवीनतम सूचनाएं अपलोड करके अद्यतन बनाया गया है। इससे संबंधित सूचनाओं को प्रत्येक तीन माह में निर्धारित प्रपत्र में भरकर नियमित रूप से नोडल विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत 156 आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदकों को वांछित सूचनाएं प्रदान की गईं।

7. राजभाषा का कार्यान्वयन

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार क्षेत्र "क" के अंतर्गत है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत राजपत्र अधिसूचना संख्या 41 (एस.ओ.980) दिनांक 02.11.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में कार्य करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं।

परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने की दिशा में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया गया। इस प्रयोजन के लिए परिषद ने कार्यालय में

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, परिषद को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिण दिल्ली-1) की सदस्यता भी प्राप्त हुई है।

परिषद अब राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन कर रही है। कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक 28.06.2023, 29.09.2023, 26.12.2023 और 22.03.2024 को आयोजित की गई थी। परिषद द्वारा दिनांक 14.09.2024 को हिन्दी दिवस तथा दिनांक 14.09.2023 से 29.09.2023 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इसके अलावा, 23.06.2023, 20.09.2023, 26.12.2023 और 20.03.2024 को हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की गई।



दिनांक 22.03.2024 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी त्रैमासिक बैठक।



दिनांक 20.03.2024 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला।

इसके अलावा, दिनांक 08.11.2023 को आयोजित मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक और दिनांक 03.04.2023 और 30.01.2024 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों में भी भाग लिया गया।

8. पशु चिकित्सा शिक्षा (बी.वी.एससी. एवं ए.एच.) विनियम, 2023 के न्यूनतम मानकों का मसौदा तैयार करना

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 22 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) के

खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, व्यवसाय और विषय में नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र की वृद्धि और उन्नति पर विचार करते हुए; उद्योग की आवश्यकता, अनुसंधान एवं विकास में उन्नति आदि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, उद्योगों, आईसीएआर संस्थानों और आयुष तथा नीति आयोग आदि जैसे अन्य प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें और व्यापक परामर्श एवं चर्चा करने के बाद पशु चिकित्सा शिक्षा (बी.एस.सी. एवं ए.एच.) विनियम, 2023 के न्यूनतम मानकों का मसौदा तैयार किया। उक्त मसौदा विनियमनों को अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

9. 29.04.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने पशु स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सा पेशे के लिए वैश्विक सहयोग और नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से इस अवसर पर पशु चिकित्सा पेशेवरों ने पशुओं और मनुष्यों दोनों के स्वास्थ्य के लिए अपने विभिन्न योगदानों पर प्रकाश डाला, पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए 29 अप्रैल, 2023 को विज्ञान भवन, मौलाना आज़ाद रोड, राजपथ क्षेत्र, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया। पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा राष्ट्रीय आयोजन के रूप में विश्व पशु चिकित्सा दिवस संयुक्त रूप से मनाया गया। इस अवसर पर तत्कालीन माननीय केंद्रीय मंत्री और तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने भी उपस्थित होकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। विश्व पशु चिकित्सा दिवस-2023 में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, राज्य पशु चिकित्सा परिषदों, राज्य पशुपालन विभागों, पशु चिकित्सा चिकित्सकों, पशु चिकित्सा उद्यमियों और उद्योगपतियों, विभिन्न वैज्ञानिक निकायों और संघों के पदाधिकारियों, सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों/संगठनों, स्वायत्त निकायों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के 1200 से अधिक पशु चिकित्सकों ने भाग लिया। पुनः इस अवसर पर 49 प्रसिद्ध पशु चिकित्सकों को सर्वश्रेष्ठ पशु चिकित्सक पुरस्कार दिया गया।



29 अप्रैल, 2023 को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के कार्यक्रम के उद्घाटन पर माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री, भारत सरकार, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए।



29 अप्रैल, 2023 को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर मंच साझा करते हुए माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, भारत सरकार, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, डॉ. संजीव कुमार बलियान जी, डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्।



29 अप्रैल, 2023 को विश्व पशु चिकित्सा दिवस की पूर्व संध्या पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए पशु चिकित्सकों को माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री, भारत सरकार, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा पुरस्कार वितरण।

10. विभाग के साथ परस्पर संपर्क

विभाग को प्रस्तुत किये गए परिषद के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार विमर्श किया गया।

11. अदालती मामले

परिषद ने अलग-अलग उच्च न्यायालयों में विभिन्न अदालती मामलों का बचाव किया। निम्नलिखित अदालती मामलों जिनमें भारतीय पशु चिकित्सा परिषद प्रतिवादी थी, का निपटारा किया गया: -

1.	सीडब्ल्यूपी संख्या 6143/2020: डॉ. पी.के. पंवार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।
2.	सीडब्ल्यूपी संख्या 14494/2023: करणी एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष।
3.	सीडब्ल्यूपी संख्या 9102/2021: संगीता डोगरा बनाम पशुपालन विभाग एवं अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।
4.	अवमानना याचिका संख्या 470/2017: डॉ. यू.सी. शर्मा बनाम डॉ. एच.के. मुनियेलप्पा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष।

5.	डब्ल्यूपी संख्या 3066/2024: वी. शिवकल्याणी बनाम भारत संघ एवं अन्य, अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष।
6.	डब्ल्यूपी संख्या संख्या 11425/2022: जोगिंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष।
7.	सीडब्ल्यूपी संख्या 8793/2018: विकास कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष।
8.	सीडब्ल्यूपी संख्या 15353/2022: सुभाष चंद बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष।
9.	रिट याचिका (सा.) संख्या 23664/2022: उमेश शर्मा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष
10.	रिट याचिका संख्या 19154/2022: प्रीतम कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में।
11.	रिट याचिका (सा.) संख्या 16633/2023: डॉ. उमेश चंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और वीसीआई, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।
12.	रिट याचिका संख्या 28685/2023: डॉ. साई प्रसन्ना बनाम पीवीएनआरटीवी विश्वविद्यालय एवं अन्य, तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष
13.	रिट याचिका संख्या 15095/2023: श्रमण नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष।
14.	रिट याचिका (सा.) संख्या 5434/2023: रोहिताश एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष।
15.	सा. रिट याचिका संख्या 1914/2023: श्री ज्वाला पार्षद शिक्षा समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।
16.	एलपीए संख्या 142/2024: भारत संघ एवं अन्य बनाम डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।
17.	सा. रिट याचिका संख्या 1277/2024: श्री श्याम शिक्षण संस्थान एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष।
18.	सा. रिट याचिका संख्या 1280/2024: प्रो. एस. करण शिक्षा समिति व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष।
19.	सा. रिट याचिका संख्या 127/2024: श्री श्याम शिक्षण संस्थान एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।
20.	सा. रिट याचिका संख्या 134/2024: प्रो. एस. करण शिक्षा समिति एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।

12. परिषद् का बजट

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग ने परिषद् के व्यय को पूरा करने के लिए परिषद् को सहायता अनुदान के रूप में रु.966.35 लाख (वेतन मद रु.170.59 लाख, सामान्य मद रु.216.75 लाख और रु.500/- लाख पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु) दिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा परिषद् के व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया सहायता अनुदान निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	वर्ष	सहायता अनुदान मद		कुल राशि (रु. लाख में)
		वेतन मद	सामान्य मद	
1.	2020-21	170.00	1.52	171.52
2.	2021-22	165.00	174.22	339.00
3.	2022-23	186.84	157.66	344.50

उपरोक्त के अलावा, परिषद् ने निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा रुपये 2,12,29,538/- का सकल राजस्व अर्जित किया: -

- काउंसलिंग शुल्क
- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 25 और 61 के अनुसार पंजीकरण शुल्क;
- प्रकाशनों की बिक्री;
- विविध प्राप्तियां; और आरटीआई अधिनियम के तहत शुल्क
- सावधि जमा पर अर्जित किया गया ब्याज
- निजी पशु चिकित्सा कॉलेजों से निरीक्षण/आवेदन शुल्क

13. परिषद् के खातों की लेखापरीक्षा

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार, "परिषद् को प्रतिवर्ष अपने खातों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा उनके द्वारा उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षा करानी होगी और परिषद् को उक्त लेखा परीक्षा के लिए उनके द्वारा किये गए व्यय या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा के लिए किसी भी व्यय का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भुगतान करना होगा।"

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिषद् के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा महानिदेशक कार्यालय (कृषि, खाद्य और जल संसाधन), 8वीं और 9वीं मंजिल, सीएजी एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा 09.12.2024 से 13.12.2024, 27.02.2025 से 07.03.2025 और 06.06.2025 से 11.06.2025 तक किया गया। लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

14. विश्वविद्यालयों के साथ मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची, जिनकी बी.वी.एससी. एवं ए.एच. डिग्री भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में शामिल है (31.3.2024 तक):-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्री वेंकटेश्वर पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति	1.	एनटीआर पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गन्नावरम
				2.	पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, प्रोद्दातुर
				3.	पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, तिरुपति
2.	असम	2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	4.	पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गुवाहाटी
				5.	लखीमपुर पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गुवाहाटी
3.	बिहार	3.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	6.	बिहार पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
4.	छत्तीसगढ़	4.	दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	7.	पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, दुर्ग
5.	गुजरात	5.	कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	8.	पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आणंद
				9.	पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जूनागढ़

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
				10.	पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, नवसारी
				11.	पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, सरदारकृषिनगर
6.	हरियाणा	6.	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	12.	पशु-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार
				13.	अंतर्राष्ट्रीय पशु-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रोहतक (कॉलेज निजी क्षेत्र के अंतर्गत है)
7.	हिमाचल प्रदेश	7.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	14.	डॉ. जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पालमपुर
8.	जम्मू और कश्मीर	8.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	15.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय, जम्मू
		9.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	16.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय, श्रीनगर, कश्मीर
9.	झारखंड	10.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	17.	रांची पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रांची
10.	कर्नाटक	11.	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	18.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय हेब्बल, बैंगलोर
				19.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय नंदीनगर, बीदर
				20.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय हसन
				21.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय शिमोगा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
				22.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय गड़ग
11.	केरल	12.	केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पुकोटे	23.	पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, त्रिशूर
				24.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पुकोटे
12.	मध्य प्रदेश	13.	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	25.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
				26.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू
				27.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा
13.	महाराष्ट्र	14.	महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	28.	मुंबई पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई
				29.	नागपुर पशुचिकित्सा महाविद्यालय, नागपुर
				30.	पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
				31.	के.एन.पी. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, सतारा
				32.	पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, उदगीर
14.	मिजोरम	15.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल	33.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय,

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
					आइजोल, मिजोरम
				34.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जलुकी, पेरेन, नागालैंड
15.	ओडिसा	16.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	35.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, भुवनेश्वर
16.	पुडुचेरी	17.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	36.	राजीव गांधी पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
17.	पंजाब	18.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना	37.	खालसा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, अमृतसर (महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अंतर्गत है)
				38.	पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लुधियाना
18.	राजस्थान	19.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	39.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर
				40.	महात्मा ज्योतिबा फुले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, चोमू, जयपुर (महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अंतर्गत है)
				41.	अपोलो पशु चिकित्सा औषधि महाविद्यालय, जयपुर (महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अंतर्गत है)
				42.	स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
					शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर
				43.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, उदयपुर
				44.	अरावली पशु चिकित्सा महाविद्यालय, सीकर (महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अंतर्गत है)
19.	तमिलनाडू	20.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	45.	मद्रास पशु चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई
				46.	पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, नमक्कल
				47.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, ऑर्थोनाडु
				48.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुनेलवेली
20.	तेलंगाना	21.	पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	49.	पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हैदराबाद
				50.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, कोरुतला
21.	त्रिपुरा	22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	51.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आर.के. नगर, अगरतला, त्रिपुरा
22.	उत्तर प्रदेश	23.	आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या	52.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, अयोध्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
		24.	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो- अनुसंधान संस्थान, मथुरा	53.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा
		25.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली	54.	आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली
		26.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	55.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, मेरठ
		27.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	56.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, परिसर बरकछा
23.	उत्तराखंड	28.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	57.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पंतनगर
24.	पश्चिम बंगाल	29.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	58.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, मोहन नगर, नादिया

15. भावी कार्य

(i) निरीक्षण

परिषद् का पशु चिकित्सा संकाय युक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली व्यवसायिक बी.वी.एससी. एवं ए.एच. वार्षिक/बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए उपलब्ध सामान्य सुविधाओं तथा मानदंडों की उपलब्धता की, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 और उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों के अनुसरण में, समय समय पर निरीक्षण करने का प्रस्ताव है। परिषद् का, न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ती के लिए पिछले वर्षों के दौरान हुए निरीक्षणों पर लिए गए निर्णयों पर विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर अगली कार्यवाही का भी प्रस्ताव है।

(ii) भारतीय पशु चिकित्सक पेशेवरों के रजिस्टर का अनुपूरक-2024 तैयार करना

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद् का भारतीय पशु चिकित्सा पेशेवरों के रजिस्टर का अनुपूरक-2024 तैयार करने का प्रस्ताव है, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल किये जाएंगे जिन्हें पशु चिकित्सा की मान्य अहर्ताएं प्राप्त हैं और जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की पशुचिकित्सा परिषदों के रजिस्ट्रों में दर्ज हैं। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की पशु चिकित्सा परिषदों से राज्य के पशु चिकित्सकों के रजिस्टर निश्चित समय तक जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

(iii) पशु चिकित्सा पेशेवरों का सीधा पंजीकरण

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 24 के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण कराने का प्रावधान है और परिषद् का, पंजीकरण कराने के इच्छुक पशु चिकित्सकों को, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव है।

(iv) पंजीकरण का अंतरण

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 52 में, पंजीकृत पशु चिकित्सा पेशेवरों से आवेदन प्राप्त होने पर उनका पंजीकरण एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित कराने का प्रावधान है और परिषद् का एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

(v) वर्ष 2024-25 के लिए मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेजों में 15% सीटें भरने के लिए काउंसलिंग का आयोजन करना

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 21 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड - डिग्री कोर्स (बी.वी.एससी. और ए.एच.) विनियम, 2016 के भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के विनियम 7(8) के अनुसार, परिषद् शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एनईईटी (यूजी) - 2024 (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा) की योग्यता सूची के आधार पर मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेजों में बी.वी.एससी एवं ए.एच. पाठ्यक्रम की 15% सीटों को भरने का प्रस्ताव करती है।

16. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (भा.प.चि.प.), नई दिल्ली की 31 मार्च 2024 तक के संलग्न बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां और भुगतान खाते का लेखा-जोखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 (2) के तहत किया है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा-जोखा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखा-परीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अनिवार्य है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना का निर्माण और उसका निष्पादन इस बारे में आश्वस्त होने के बाद ही करें कि वित्तीय विवरणों में कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटनों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों की जांच करना शामिल होता है। लेखा-परीक्षा में, प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए विशिष्ट अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की सकल प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा से हमारी राय तर्कसंगत शिद्ध होती है।

4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा-परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

(ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय / प्राप्तियां एवं भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के एक समान प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 62(1) के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की जांच से पता चलता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) खातों में संशोधन

परिषद ने, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, खातों में संशोधन किया है। वित्तीय विवरण पर संशोधन का प्रभाव यह है कि परिसंपत्तियों और देनदारियों में 17.41 करोड़ रुपये की कमी आई है।

ख) सहायता अनुदान

2023-24 के दौरान, वीसीआई को 9.66 करोड़ रुपये (वेतन और सामान्य के लिए 4.66 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 5.00 करोड़ रुपये) का अनुदान मिला और 01.04.2023 को 0.24 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था। कुल अनुदान 9.90 करोड़ रुपये में से, वीसीआई ने 3.87 करोड़ रुपये का व्यय किया और 5.24 करोड़ रुपये (पूंजी के निर्माण के लिए 5.00 करोड़ रुपये और वेतन के लिए 0.24 करोड़ रुपये) मंत्रालय को वापस कर दिए, जिससे 31.03.2024 को 0.79 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान रह गया।

ग) प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के ध्यान में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफ में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान खाता, खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपरोल्लिखित विशिष्ट विषयों तथा इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक

में उल्लिखित अन्य विवरण, भारत में सामान्यता अपनाए जाने वाले सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप इस सीमा तक, वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक कि यह 31 मार्च 2024 तक भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के मामलों के तुलन-पत्र से संबंधित हैं; और

ख. जहां तक कि यह उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

कृते भारत के महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03.07.2025

हस्ताक्षर/-

(तान्या सिंह)

लेखापरीक्षा महानिदेशक,

केंद्रीय व्यय (कृषि खाद्य एवं जल संसाधन)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

वीसीआई के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालाँकि, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा 31.03.2024 तक आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

क) कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं थी।

ख) 60,26,504 रुपये की राशि (विशेषज्ञ-सीवीई को मानदेय/बकाया वेतन एवं मजदूरी 1,50,150 रुपये; कानूनी एवं पेशेवर के लिए देय-53,54,185 रुपये; फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए केन्द्रीय भंडार को देय-4,54,189 रुपये तथा पेशेवर समूह को अन्य परीक्षा व्यय के लिए-67,980 रुपये) जो चालू देयताएं एवं प्रावधान' (अनुसूची-7) शीर्षक के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं, पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से स्थिर बकाया शेष के रूप में हैं। इसका भुगतान/समाधान/वापस लिखा जाना आवश्यक है।

ग) चालू देयताएं एवं प्रावधान' (अनुसूची-7) शीर्षक के अंतर्गत 4,22,421/- रुपये (1,68,966 + 2,53,455) की राशि के पुराने चेक की देयताएं दिखाई गई हैं। हालांकि, इन चेकों की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसे वापस लिखा जाना आवश्यक है।

घ) वीसीआई का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 89830100018161 वर्ष 2019 से निष्क्रिय है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रबंधन पत्र में बताए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

भा.प.चि.प., नई दिल्ली की अचल परिसंपत्तियों जैसे फर्नीचर एवं फिक्सचर, कंप्यूटर और सहायक उपस्करों का भौतिक सत्यापन 31.03.2024 तक किया गया है और किसी प्रकार की सामग्री की कमी रिपोर्ट नहीं की गई।

4. माल सूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

भा.प.चि.प., नई दिल्ली के उपभोग्य/गैर-उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2024 तक किया गया है और किसी सामग्री की कमी रिपोर्ट की गई है।

5. बकाया भुगतान में नियमितता

31.03.2024 तक वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

प्रबंधन पत्र

- 1) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) शीर्ष में वर्ष 2016-17 के दौरान वीसीआई-भवन के नवीनीकरण और फर्नीचर व फिक्सचर आदि की आपूर्ति के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दिए गए अग्रिमों के रूप में ₹6,89,816 शामिल हैं। यह अग्रिम लंबे समय से वीसीआई खाते में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत बिना किसी समायोजन प्रविष्टि/बट्टे खाते में पड़ा है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।
- 2) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) शीर्ष में वर्ष 2022-23 के दौरान वीसीआई-भवन के लिए मृदा परीक्षण, स्थल सर्वेक्षण, मानचित्र के आरेखण और डिजाइनिंग के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दिए गए अग्रिमों के रूप में ₹25,00,000 शामिल हैं। हालाँकि, वीसीआई ने इसे वार्षिक खातों में चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) के अंतर्गत उपशीर्षक "कार्यालय के नवीनीकरण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान" के अंतर्गत दर्शाया है। 2024-25 में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का वर्ष 2023-24 के लिए वित्तिय विवरण



(भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय)

ए-विंग, सेकंड फ्लोर, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110 066

सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं
1.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की बैलेंस शीट	34
2.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का आय और व्यय खाता	36
3.	अनुसूचियां व खातों पर नोट्स	38
4.	वीसीआई की प्राप्ति और भुगतान खाता	66
5.	बैंक बैलेंस विवरण	69
6.	पेंशन फंड और उनकी अनुसूची	70
7.	वीसीआई-जीपीएफ खाते और उनकी अनुसूची	73
8.	वीसीआई-अवकाश नकदीकरण और उपदान निधि और उनकी अनुसूचियों	77
9.	वीसीआई-कर्मचारी के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन योजना का विवरण	80

तुलन पत्र

2023-24

वितीय विवरण का रूप (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट				
संचित निधि / पूंजी निधि और देयताएं		अनुसूची	वर्तमान साल	(राशि ₹ में)
			2023-24	2022-23
संचित निधि / पूंजी निधि		1	106041759	104872135
आरक्षित और अधिशेष		2	0	0
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		3	85612305	21034412
सुरक्षित ऋण और उधार		4	0	0
असुरक्षित ऋण और उधार		5	0	0
आस्थगित क्रेडिट दायित्व		6	0	0
वर्तमान देयताएं और प्रावधान		7	179786628	159523052
वीसीआई-पेंशन फंड (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		II	-	176682046
वीसीआई-जीपीएफ (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		III	-	18297867
वीसीआई-अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी फंड (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		IV	-	29070406
वीसीआई-पनपीएस (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		V	-	254201
कुल			371440692	509734119
संपत्तियां				
अचल संपत्तियां		8	8462637	7922105
निवेश - निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से		9	85612305	21034412
निवेश-अन्य		10	0	0
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।		11	277365750	256473082
विविध व्यय (जिस हद तक बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया)				
वीसीआई-पेंशन फंड (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		II	0	0
वीसीआई-जीपीएफ (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		III	-	176682046
वीसीआई-अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी फंड (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		IV	-	18297867
वीसीआई-पनपीएस (लेखा नोट्स अनुसूची-24 का नोट 8 देखें)		V	-	29070406
कुल			371440692	509734119
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां		24		
आकस्मिक देयताएं और लेखांकन पर टिप्पणियां		25		
(डॉ. आर.जी. बम्बल) सचिव (अतिरिक्त प्रभार)				

**आय और व्यय
लेखा
2023-24**

अनुसूचियों का गठन का हिस्सा
तुलन पत्र
2023-24

वित्तीय विवरण का रूप (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाले अनुसूचियां					(रुपये में राशि)
अनुसूची 1 मूल/पूजीगत निधि		वर्तमान साल	पिछला वर्ष		
		2023-24	2022-23		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		104872135	102043421		
जमा:					
(i) जोड़ें: कॉर्पस/पूजीगत निधि के लिए योगदान		0	0		
(ii) निवल आय/व्यय कि शेष राशि (आय एवम व्यय खाते से अंतरित)		1169624	2828714		
वर्ष के अंत तक शेष राशि		106041759	104872135		
अनुसूची 2 आरक्षित एवम अधिशेष नीधि					
1. पूजी रिजर्व:		0	0		
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:		0	0		
3. विशेष रिजर्व:		0	0		
4. सामान्य रिजर्व:		0	0		
कुल		0	0		

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31.3.2024 तक			
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि		वर्तमान साल	(रुपये ₹.) पिछला वर्ष
अनुसूची- 3		2023-24	2022-23
ए) फंड का ओपनिंग बैलेंस (बिल्डिंग फंड)		21034412	20001100
बी) निधि में वृद्धि:			
i. दान/अनुदान			
सरकार से प्राप्त अनुदान			
निधियों के कारण किए गए निवेश से आय		0	0
सावधि जमा/बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज		0	0
अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		2165291	0
जमा: सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (समापन)			
कुल		28430	1052401
घटाया: प्रोदभूत ब्याज (शुरुआती शेष राशि)		2193721	1052401
		1052401	19089
कुल (बी)			
बिल्डिंग फंड का कुल (ए+बी)		1141320	1033312
सी) घटाएँ: निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/वापसी/व्यय/		22175732	21034412
i. पूंजीगत व्यय			
अचल संपत्तियां		0	0
अन्य		0	0
ii. राजस्व व्यय			
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।		0	0
किराया		0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय		0	0
कुल (सी) बिल्डिंग फंड			
नेट शेष (ए+ बी-सी) बैलेंस शीट के लिए स्थानांतरित		0	0
		22175732	21034412
			जारी..

वितीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31.3.2024 तक			पिछले से. पेज
अनुसूची- 3			(रुपये ₹.)
निर्धारित/बढ़ोबस्ती निधि	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	
ए) पेंशन निधि फंड का ओपनिंग बैलेंस (अनुलग्नक-II से ली गई राशि, प्रावधानों को छोड़कर 2022-23 का समापन शेष)	44107997		
बी) निधि में वृद्धि:			
i. दान/अनुदान			
सरकार से प्राप्त अनुदान	0		
निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	0		
सावधि जमा/बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज (बैंक ऑफ बड़ौदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली (27168+2224574))			
अन्य परिवर्धन (एकति निर्दिष्ट करें)	2251742		
जमा: सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (समापन)	1570225		
कुल	3821967		
घटाया: प्रोद्भूत ब्याज (शुरुआती शेष राशि)	1460779		
कुल (बी)	2361188	0	
पेंशन फंड का कुल (ए+बी)	46469185	0	
सी) घटाएँ: निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/वापसी/व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			
अचल संपत्तियाँ	0		
अन्य/others	0		
ii. राजस्व व्यय			
पेंशन का भुगतान किया गया	2213196		
किराया	0		
अन्य प्रशासनिक व्यय (बैंक जमा)	99		
कुल (ग) व्यय	2213295	0	
नट पेंशन निधि फंड का शेष (ए+बी-सी) बैलेंस शीट के लिए स्थानांतरित	44255890	0	
			जारी..

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31.3.2024 तक		पिछले से. पेज
(रुपये ₹)		
वर्तमान साल	पिछला वर्ष	
2023-24	2022-23	
निर्धारित/बदोबस्ती निधि		
अनुसूची- 3		
a) अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी फंड के फंड का ओपनिंग बैलेंस (अनुलग्नक-IV से लेी गई राशि, प्रावधानों को छोड़कर 2022-23 का समापन शेष)		
b) निधि में वृद्धि:		
i. दान/अनुदान		
सरकार से प्राप्त अनुदान		
निधियों के कारण किए गए निवेश से आय		
सावधि जमा/बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज(बैंक ऑफ बड़ोदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली (13742+1138610))		
अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
जमा: सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (समापन)		
कुल		
घटाया: प्रौढभूत ब्याज (शुरुआती शेष राशि)		
कुल (बी)		
अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी निधि का योग (ए+बी)		
c) घटाएँ: निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/वापसी/व्यय		
i. पूँजीगत व्यय		
अचल संपत्तियाँ		
अन्य		
ii. राजस्व व्यय		
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।		
किराया		
अन्य प्रशासनिक व्यय		
कुल (सी) अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी फंड		
नेट शेष (ए+ बी-सी) बैलेंस शीट के लिए स्थानान्तरित (अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी निधि)		
जारी..		

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31.3.2024 तक		पिछले से. पेज
निर्धारित/बदोबस्ती निधि	वर्तमान साल 2023-24	(रुपये ₹.) पिछला वर्ष 2022-23
अनुसूची- 3		
नेट बैलेंस भवन् निधि	22175732	21034412
नेट बैलेंस पेंशन फंड	44255890	0
नेट बैलेंस अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी निधि	19180683	0
कुल योग बैलेंस शीट में स्थानांतरित किया गया	85612305	21034412

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31.3.2024 तक			(रुपये ₹.)
	वर्तमान साल	पिछला वर्ष	
	2023-24	2022-23	
अनुसूची-4			
सुरक्षित ऋण और उधार:			
1. केन्द्र सरकार	0	0	0
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	0	0	0
3. वित्तीय संस्थाएं	0	0	0
4. बैंक:	0	0	0
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0	0	0
6. डिबेंचर और बांड	0	0	0
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0
कुल	0	0	0
अनुसूची-5			
असुरक्षित ऋण और उधार:			
1. केन्द्र सरकार	0	0	0
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	0	0	0
3. वित्तीय संस्थाएं	0	0	0
4. बैंक:	0	0	0
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0	0	0
6. डिबेंचर और बांड	0	0	0
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0
कुल	0	0	0
अनुसूची-6			
आस्थगित ऋण देयताएं:			
अ) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	0	0	0
ब) अन्य	0	0	0
कुल	0	0	0

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

31.3.2024 के अनुसार बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाले अनुसूचियाँ

	वर्तमान साल		पिछला साल
	2023-24	2022-23	(रुप में ₹.)
अनुसूची - 7			
मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान			
A. वर्तमान देनदारियाँ			
1. स्वीकृतियाँ			
2. विविध लेनदार		0	0
क) रखरखाव शुल्क देय			
ख) काउंसिलिंग शुल्क वापसी योग्य	141307		392366
3. ब्याज उपार्जित किया गया, लेकिन उस पर देय नहीं	1977960		1897960
क) सुरक्षित ऋण / उधार			
ख) असुरक्षित ऋण / उधार	0	0	0
4. सांविधिक देयताएँ	0	0	0
5. अन्य वर्तमान देनदारियाँ	0	0	0
अग्रिम धन			
के लिए जमा की गई सुरक्षा	74000		74000
सीवीई विशेषज्ञ को बकाया मानदेय	17551		17551
देय वेतन और मजदूरी	150150		150150
देय वेतन और मजदूरी			
अन्य देनदारियाँ	1385834		1286712
	291024		45584
कानूनी और पेशेवर के लिए देय			
टेलीफोन शुल्क देय	5354185		5289300
देय विपुल शुल्क	9849		16291
टीए/डीए व्यय देय	49280		101610
चिकित्सा व्यय के लिए देय	0		1112916
विविध देयताएँ	0		28393
विविध देयताएँ	168966		168966
फर्नीचर और स्थिरता के लिए केन्द्रीय भंडार को देय	253455		253455
देय डाक व्यय	454189		454189
किराया दर और कर	8048		29471
पेशेवर समूह को अन्य परीक्षा खर्च के लिए देय	0		336970
विविध व्यय के लिए देय	67980		67980
	670		0
बैठक व्यय के लिए देय		8043480	9191837
वार्षिक रिपोर्ट के अनुवाद हेतु देय		0	196707
मददग शुल्क के लिए देय		0	44800
विविध व्यय के लिए देय		0	21200
स्टेशनरी व्यय के लिए देय		0	11658
जल शुल्क के लिए देय		0	14750
अनुदान सहायता का अन-उपयोग शेष		0	16432
कुल (क)	7899870		2394796
	18304318		14424207
ख. प्रावधानों			
कराधान के लिए			
रोच्युटी - पिछले वर्ष के अनुमान में दिए गए एक्यूअरियल के आधार पर	1359280		1359290
सुपरनेशन / पेंशन - पिछले वर्ष के अनुमान में दिए गए एक्यूअरियल के आधार पर	4215840		2810560
संविन अवकाश नकदीकरण - पिछले वर्ष के अनुमान में दिए गए एक्यूअरियल के आधार पर	146240591		132574049
ऑडिट शुल्क का प्रावधान	9576589		8264946
	90000		90000
कुल (ख)	161482310		145098845
कुल (क + ख)	179786628		159523052

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

31.3.2024 के अनुसार बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाले अनुसूचियां

अनुसूची - 8 संपत्ति	विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास					(रुपय में ₹.)	
		लागत के रूप में 1.4.2023	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोज जन (+)	वर्ष के दौरान कटौती	समायोज न (-)	31.03.2024 तक लागत	1.4.2023 को मूल्यहास	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	31.3.2024 को कुल मूल्यहास	31.03.2024 को	31.03.2023 को
ए अचल संपत्ति (योजना अनुदान)													
1. इमारतें													
a. फ्रीहोल्ड लैंड पर													
b. लीजहोल्ड लैंड पर	41723775	0	0	0	0	0	41723775	36895844	482793	0	37378637	4345138	4827931
c. स्वामित्व फ्लैट्स / परिसर													
2. कार्यालय उपकरण													
3. वाहन (मोटर कार)	1625596	0	0	0	0	0	1625596	1603640	3293	0	1606933	18663	21956
4. फर्निचर व फिक्सचर	425259	0	0	0	0	0	425259	413579	1752	0	415331	9928	11680
5. ऑडियो विजुअल	3524018	0	0	0	0	0	3524018	3235104	28891	0	3263995	260023	288914
	15012	0	0	0	0	0	15012	14559	68	0	14627	385	453
B. अचल संपत्ति (परीक्षा फंड)													
1. इमारतें													
a. लीजहोल्ड लैंड पर	13208843	677932	0	0	0	0	13886775	11500655	238612	0	11739267	2147508	1708188
2. वाहनों	539346	0	0	0	0	0	539346	379412	23990	0	403402	135944	159934
3. कार्यालय उपकरण	726727	0	0	0	0	0	726727	637758	13345	0	651103	75624	88969
4. फर्निचर व फिक्सचर	2321764	603446	0	0	0	0	2925210	1578279	134693	0	1712972	1212238	743485
5. कंप्यूटर	1376521	0	0	0	0	0	1376521	1358424	7239	0	1365663	10858	18097
6. विपणन उपकरण(एपीएस)	273090	336176	0	0	0	0	609266	273085	134472	0	407557	201709	5
7. ऑडियो विजुअल	293932	0	0	0	0	0	293932	241439	7874	0	249313	44619	52493
वर्तमान वर्ष कुल	66053883	1617554	0	0	0	0	67671437	58131778	1077022	0	59208800	8462637	7922105
पिछले वर्ष कुल													
कंपिटल कार्य - प्रगति पर	66053883	0	0	0	0	0	66053883	57219559	912219	0	58131778	7922105	8834324
कुल													
नोट: परिषद ने भांडे की खरीद के आधार पर कोई संपत्ति नहीं खरीदी है।													
नोट: संपोडन्यूज़ द्वारा 13.08.2023 को प्रस्तुत और इस कार्यालय द्वारा स्वीकार किए गए बिल से वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन													

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां					(राशि ₹. में)
अनुसूची - 9		वर्तमान साल		पिछला वर्ष	
निर्धारित / बंदोबस्ती कोष से नियेश		भवन फंड		2023-24	2022-23
सरकारी प्रतिभूतियों में					
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों					
शेयरों					
डिबेंचर और बांड					
सहायक और संयुक्त उद्यम					
अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)					
शेड्यूल बैंक (बैंक ऑफ़ बडौदा) के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट					
उपरोक्त एफडीआर का उपाजित व्याज				22056435	19891144
बैंक ऑफ़ बडौदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली में शेष राशि				28430	1052401
बैलेंस शीट में स्थानांतरित कुल				90867	90867
				22175732	21034412
पेशन फंड				2023-24	2022-23
सरकारी प्रतिभूतियों में					
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों					
शेयरों					
डिबेंचर और बांड					
सहायक और संयुक्त उद्यम					
अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)					
शेड्यूल बैंक (बैंक ऑफ़ बडौदा) के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट					
उपरोक्त एफडीआर का उपाजित व्याज				42050402	
बैंक ऑफ़ बडौदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली में शेष राशि				1570225	
बैलेंस शीट में स्थानांतरित कुल				635263	
				44255890	0
अवकाश नकदीकरण और ग्रैच्युटी निर्धि फंड				2023-24	2022-23
सरकारी प्रतिभूतियों में					
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों					
शेयरों					
डिबेंचर और बांड					
सहायक और संयुक्त उद्यम					
अन्य (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)					
शेड्यूल बैंक (बैंक ऑफ़ बडौदा) के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट					
उपरोक्त एफडीआर का उपाजित व्याज				18454165	
बैंक ऑफ़ बडौदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली में शेष राशि				218101	
बैलेंस शीट में स्थानांतरित कुल				508417	
				19180683	0
					जारी..

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ				पिछले पेज से
अनुसूची - 9		वर्तमान साल	पिछला वर्ष	(राशि ₹. में)
निर्धारित / बंदोबस्ती कोष से निवेश				
भवन निधि का कुल		2023-24	2022-23	
पेंशन निधि का कुल		22175732	21034412	
अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुटी फंड का कुल योग		44255890		
		19180683		
बैलेंस शीट में स्थानांतरित सभी उपरोक्त खातों का कुल योग		85612305	21034412	
अनुसूची - 10				(राशि ₹. में)
निवेश - अन्य				
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ में		2023-24	2022-23	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		0	0	0
3. शेयर		0	0	0
4. डिबेंचर और बांड		0	0	0
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम		0	0	0
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		0	0	0
		0	0	0

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन)				
इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद				
31.3.2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाले अनुसूचियां				
अनुसूची 11		वर्तमान साल	पिछला वर्ष	(रुप में ₹.)
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि		2023-24	2022-23	
ए. वर्तमान संपत्ति:-				
1. सूची				
a. स्टोर और पुर्जों			0	0
b. ढीले उपकरण			0	0
c. स्टॉक-इन-ट्रेंड			0	0
2. विविध देनदार				
a. छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण			0	0
b. अन्य			0	0
3. डाक टिकट हाथ में				
परीक्षा निधि		47594	47594	
अनुदान		0	0	47594
4. हाथ में नकदी			15	15
5. बैंक शेष (अनुसूची बैंक)				
a. शेड्यूल बैंकों के साथ				
(बैंक ऑफ़ बड़ोदा/भारतीय स्टेट बैंक एनेक्स्चर-1)			46867984	35698604
सावधि/स्वीप जमा (परीक्षा निधि विवरण अनुलग्नक-1 के अनुसार)			217446788	207511265
b. नोन-शेड्यूल बैंकों के साथ			0	0
6. डाकघर बचत खाते			0	0
कुल (ए)		264362381		243257478

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन)				
इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद				
31.3.2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाले अनुसूचियां				
वर्तमान साल	2023-24	पिछला वर्ष	2022-23	(रुप में ₹.)
अनुसूची 11				
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि				
पूर्व पृष्ठ से जारी रहेगा				
B. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण	264362381		243257478	
a. कर्मचारी				
b. अन्य संस्थाएं जो संस्था के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में सलग्न हैं	0		0	
C. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0		0	
	0		0	
2. अग्रिम और अन्य राशि नकद या में वसूली योग्य वस्तु के रूप में या मूल्य के लिए प्राप्त किया जाना है	0		0	
त्याहार अग्रिम				
समन्वयक को अग्रिम एआईपीवीटी के लिए	900		900	
आकस्मिक अग्रिम (Rs.9686/- + Rs.312848/-)	10000		10000	
कार्यालय के नवीकरण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए भुगतान किया	322534		472534	
एआईपीवीटी परीक्षा केंद्र के लिए	3189816		4807370	
टीडीएस	396120		396120	
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के साथ जमानत राशि	257		257	
गैस कनेक्शन के लिए इंडियन ऑयल के पास जमा की गई सुरक्षा/	81000		81000	
हुडको के पास जमा सुरक्षा (किराया अग्रिम के लिए परीक्षा अनुभाग)	1500		1500	
	1561693		1561693	
3. अर्जित आय	5563820			7331374
a. निर्धारित/बदोबस्ती निधि से निवेश के संबंध में विवरण बैलेंस शीट की अनुसूची-3 और 9 में पहले से ही उपलब्ध है				
b. बैंक ऑफ बड़ोदा, बीसी प्लेस के साथ सावधि जमा पर उपार्जित व्याज(परीक्षा)	7384726			5829407
c. ऋण एवं अग्रिम पर	0			0
4. प्राप्य दावे				
प्रीपेड व्यय				
हुडको ग्राउंड रेट कमरा नं 293 के लिए भुगतान				
हुडको ग्राउंड रेट कमरा नं 288-292 के लिए भुगतान	0			0
	12832			12832
	41991			41991
कुल (बी)				
कुल (ए + बी)	13003369			13215604
	277365750			256473082

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) इकाई का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां			
		(रुपय में ₹.)	
वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन)		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां		2023-24	2022-23
अनुसूची - 12			
विक्री/सेवाओं से आय			
1. विक्री से आय			
a. तैयार माल की बिक्री		0	0
b. कच्चे माल की बिक्री		0	0
c. स्क्रैप की बिक्री		0	0
d. फॉर्म की बिक्री से आय		0	0
e. आरटीआई शुल्क		760000	667000
2. सेवाओं से आय		0	10316
a. श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		0	0
b. पेशेवर/परामर्श सेवाएं		0	0
c. एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज		0	0
d. रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		0	0
e. अन्य (निर्दिष्ट करें)		0	0
कुल (1 + 2) प्राप्ति और भुगतान खाते में अंतरित		760000	677316
कुल आय और व्यय खाते में स्थानान्तरित		760000	677316
अनुसूची - 13			
अनुदान/सब्सिडी (अप्रतिसंस्मरणीय अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
		2023-24	2022-23
(A) प्रारंभिक शेष सहायता अनुदान का**		2394796	3891928
(B) वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त *		96633000	34450000
(C) घटायें			
(i) वर्ष के अंत में शेष रह गई		7899870	2394796
(ii) वर्ष के अंत में वापस कि गई		52394796	0
(D) राज्य सरकार		0	0
(E) सरकारी एजेंसियों		0	0
(F) संस्थापक/कल्याणकारी निकाय		0	0
(G) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		0	0
(H) अन्य (निर्दिष्ट करें)		0	0
नट बैलेंस आय एवं व्यय खाते में अंतरित		38733130	35947132
* वेतन- ₹ 21391000/- सामान्य- ₹ 25242000/-			
** वेतन- ₹ 43,32,564/- सामान्य- ₹ 3567306/-			
*** ₹ 23,94,796/-			

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां			
अनुसूची - 14 शुल्क / सदस्यता	वर्तमान साल 2023-24	(रुपए में ₹.)	
		पिछला वर्ष 2022-23	
1) प्रवेश शुल्क			0
2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता			0
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क			0
4) परामर्श शुल्क			0
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)			0
a) काओस्लिंग शुल्क	5444498		6065488
b) पंजीकरण शुल्क	127443		86134
c) आवेदन शुल्क	2250000		1800000
d) आर.टी.आई. शुल्क	7486		0
प्राप्तियां और भुगतान खाते में स्थानांतरित	7829427		7951622
आय और व्यय खाते में हस्तांतरित शेष	7829427		7951622

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां			
अनुसूची - 15		वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निधियों में स्थानांतरित निवेश पर आय।)			
1. व्याज			
a) सरकारी प्रतिभूतियों पर		0	0
b) अन्य बांड/डिवेंचर		0	0
2. लाभांश			
a) शेयरों पर		0	0
b) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर		0	0
3. किराए		0	0
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)		0	0
कुल		0	0
अनुसूची - 16			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।		वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. रॉयल्टी से आय		0	0
2. प्रकाशन से आय		0	0
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		0	0
कुल		0	0

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां			
अनुसूची - 17 अजित ब्याज		वर्तमान साल 2023-24	(रुप में ₹.) पिछला वर्ष 2022-23
1. सावधि जमा पर a. अनुसूचित बैंकों के साथ वीसीआई परीक्षा कोष, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली के साथ, अवधि का विवरण अनुलग्नक-1 में देखा जा सकता है। वर्ष के दौरान एफ डी आर पर प्राप्त ब्याज जोई: संचित ब्याज (समापन शेष) घटाया: अजित ब्याज (शुरुआती शेष राशि)		10956571 7384726 5829407	8362332 5829407 3650201 10541538
b. गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ c. संस्थाओं के साथ d. अन्य		0 0 0	0 0 0
2. बचत खातों पर: a. अनुसूचित बैंकों के साथ b. गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ c. डाकघर बचत खाते d. अन्य		0 0 0 0	0 0 0 0
3. ऋण पर: a. कर्मचारी/स्टाफ b. अन्य 4. देनदारों और अन्य प्राप्त्य राशियों पर ब्याज		0 0 0 0	0 0 0 0
कुल		12511890	10541538
कोई टीडीएस नहीं			

वित्तीय विवरणों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां			
(रुपए में ₹.)		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
अनुसूची - 18		2023-24	2022-23
अन्य आय			
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ			
a) स्वामित्व वाली संपत्तियां		0	0
b) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां		0	0
2. निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ		0	0
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		0	0
4. विविध आय/प्राप्ति			
a. विविध प्राप्ति		128221	93600
कुल		128221	93600
अनुसूची - 19			
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगति पर काम			
वर्तमान साल		2023-24	2022-23
पिछला वर्ष			
a) समापन स्टॉक			
तैयार माल		0	0
कार्य प्रगति पर		0	0
b) घटाएँ: आरंभिक स्टॉक			
तैयार माल		0	0
कार्य प्रगति पर		0	0
कुल		0	0

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां									
	अनुसूची - 20	वर्तमान साल		पिछला वर्ष		(रुप में ₹.)			
		2023-24		2022-23					
		अनुदान	परीक्षा निधी	Total	अनुदान	परीक्षा निधी	Total		
वैतन एवं वेज		16843931	0	16843931	18615243	0	18615243		
भत्ते और बोनस		0	0	0	0	0	0		
नई पेंशन योजना में नियोजता का योगदान		0	0	0	140619	0	140619		
चिकित्सा प्रतिपत्ति		119475	0	119475	237317	0	237317		
एल.टी.सी		88030	0	88030	85704	0	85704		
सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ		0	0	0	0	0	0		
जी.पी.एफ पूर्व वित्तिय वर्ष के लिए ब्याज		0	0	0	526783	0	526783		
पुरस्कार		7000	0	7000	0	0	0		
कर्मचारी कल्याण व्यय		0	0	0	0	0	0		
कुल (प्राप्तियां और भुगतान खाते में स्थानांतरित)		17058436	0	17058436	19605666	0	19605666		
जोई. जी पी एफ को ब्याज		0	0	0	365074	0	365074		
जोई. बकाया देनदारियां									
वैतन एवं मजदूरी, जिसमें निवोह भत्ता एवं पारिश्रमिक शामिल हैं, न्यायालय आयुक्त को देय		219355	0	219355	45584	0	45584		
घटार: बकाया देयताओं का प्रारंभिक शेष									
वैतन और मजदूरी माचे 2023 के लिए		45584	0	45584	22792	0	22792		
जोई. जी पी एफ को देय ब्याज		0	0	0	526783	0	526783		
घटार: प्रारंभिक ब्याज का भुगतान किया गया जीपीएफ खाता									
जोई. पेंशन निधि, एल.ई. एवं जी.एफ.एल.ई. तथा ग्रेच्युटी निधि के लिए पेंशनरी प्रभारों के लिए									
एकचुअरीज द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछले वर्ष के आधार पर प्रावधान किए गए हैं। एल.ई. और ग्रेच्युटी									
फंड (पेंशन-13666542/- + एल.ई. 1311643/- + जी.एफ. 1405280/-)		16383465	0	16383465	16383465	0	16383465		
कुल (आय और व्यय खाते में स्थानांतरित)		33615672	0	33615672	35850214	0	35850214		

वितीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां						
अनुसूची - 21	वर्तमान साल		पिछला वर्ष		(रुप में ₹.)	
	2023-24		2022-23			
अन्य प्रशासनिक व्यय	अनुदान	कुल	अनुदान	कुल	अनुदान	कुल
क्रय	0	0	0	0	0	0
श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय	0	0	0	0	0	0
दुलाई और कैरिज अंदर की ओर	0	0	0	0	0	0
बिजली एंड पावर	701840	0	701840	600140	600140	600140
जल प्रभार	47226	0	47226	16750	16750	16750
बीमा	0	0	0	0	0	0
मरम्मत और रखरखाव	2014177	49827	2064004	1450199	1450199	1450199
किराया, दरे और करों	4858090	0	4858090	3595541	3595541	3595541
वाहन चलाना और रखरखाव	85000	0	85000	302487	302487	302487
डाक प्रभार	113708	0	113708	64808	64808	64808
टेलीफोन प्रभार	130278	0	130278	110460	110460	110460
मुद्रण प्रभार	292540	21122	313662	48887	48887	48887
स्टेशनरी	310531	0	310531	73618	73618	73618
यात्रा और वाहन व्यय	4835369	248211	5083580	3481708	3481708	3481708
बैठक/सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	359370	4001458	4360828	150314	150314	150314
मतदाता सूची	460286	0	460286	0	0	0
लेखा परीक्षक शुल्क	107772	0	107772	320080	320080	320080
आतिथ्य व्यय	0	0	0	0	0	0
पेशवर/कानूनी शुल्क	125748	0	125748	151070	151070	151070
विज्ञापन और प्रचार	669402	0	669402	93368	289134	289134
राजभाषा व्यय	750	0	750	3952	3952	3952
पेशनर संबंधी प्रभार	315105	0	315105	46253	46253	46253
अन्य कार्यालय व्यय	0	0	0	0	0	0
काउंसिलिंग व्यय	2003642	0	2003642	1997733	1997733	1997733
आउटसोर्स स्टाफ व्यय	718185	0	718185	0	0	0
परीक्षा व्यय	0	82718	82718	0	0	0
भारतीय पशु चिकित्सक का रजिस्टर	3340000	0	3340000	1256000	1256000	1256000
अनुवाद और टंकण प्रभार	44800	0	44800	0	0	0
बैंक प्रभार	94	177	271	1993	2642	2642
विविध	140780	0	140780	76105	76105	76105
जारी अगले पेज पर	21674693	4403513	26078206	13841466	196415	14037881

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)						
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद						
31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ						
अनुसूची - 21	वर्तमान साल	2023-24	पिछला वर्ष	(रुपए में ₹.)		
अन्य प्रशासनिक व्यय	अनुदान	परीक्षा निधि	अनुदान	2022-23	परीक्षा निधि	कुल
(पूर्व पृष्ठ से जारी रहेगा)	21674693	4403513	26078206	196415	196415	14037881
कुल (ए) प्राप्ति और भुगतान विवरण में स्थानान्तरण	21674693	4403513	26078206	196415	196415	14037881
जोड़ें: बकाया व्यय (देय)	0	47594	0	47594	0	47594
i) डाक का प्रारम्भिक स्टॉक						
ii) बिजली शुल्क देय	36900	0	36900	89230	0	89230
रखरखाव शुल्क देय	141307	0	141307	392366	0	392366
टेलीफोन शुल्क देय	9849	0	9849	16291	0	16291
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए प्रावधान (2023-24)	90000	0	90000	90000	0	90000
किराया दर और करों के लिए देय	0	0	0	336970	0	336970
टैप/डीए के लिए देय	0	0	0	0	0	0
स्पीड पोस्ट सेंटर के लिए डाक देय	0	0	0	1112916	0	1112916
अनुवाद और टाइपिंग के लिए देय	8048	0	8048	29471	0	29471
भुटान शुल्क के लिए देय	0	0	0	44800	0	44800
मिठक व्याय देय	0	0	0	21200	0	21200
अन्य व्यय के लिए देय	0	0	0	196707	0	196707
स्टेशनरी खर्च के लिए देय	0	0	0	11658	0	11658
पेशन शुल्क के लिए देय	0	0	0	14750	0	14750
आउटसोर्सिंग में पावर देय	71669	0	71669	28393	0	28393
कानूनी और व्यावसायिक देय	64885	0	64885	0	0	0
जल प्रसार के लिए देय	0	0	0	16432	0	16432
विविध व्यय के लिए देय	670	0	670	0	0	0
कुल (बी)	423328	47594	470922	2401184	47594	2448778
घटायें: भुगतान किए गए बकाया व्यय का आंशिक शेष	0	47594	47594	0	47594	47594
i) डाक का अंतिम स्टॉक						
ii) रखरखाव शुल्क का देय भुगतान	392366	0	392366	112101	0	112101
टेलीफोन शुल्क का देय भुगतान	16291	0	16291	4636	0	4636
बिजली शुल्क देय भुगतान	89230	0	89230	46850	0	46850
लेखापरीक्षा शुल्क देय समायोजन के लिए प्रावधान	90000	0	90000	81000	0	81000
कानूनी और व्यावसायिक देय भुगतान	0	0	0	0	0	0
टैप/डीए व्यय देय भुगतान	1112916	0	1112916	473538	0	473538
स्पीड पोस्ट सेंटर को देय डाक शुल्क	29471	0	29471	4515	0	4515
मिठक व्यय देय भुगतान	196707	0	196707	87868	0	87868
अनुवाद और टैकण प्रसार देय भुगतान	44800	0	44800	0	0	0
काउंसिलिंग व्यय	0	0	0	8496	0	8496
किराया दर और करों के लिए देय भुगतान	336970	0	336970	0	0	0
अन्य व्यय के लिए देय भुगतान	11658	0	11658	0	0	0
स्टेशनरी खर्च के लिए देय भुगतान	14750	0	14750	0	0	0
पेशन शुल्क के लिए देय भुगतान	28393	0	28393	0	0	0
जल प्रसार के लिए देय भुगतान	16432	0	16432	0	0	0
मिशन शुल्क के लिए देय भुगतान	21200	0	21200	0	0	0
कुल (सी)	2401184	47594	2448778	819004	47594	866598
आय एवं व्यय खाते में स्थानान्तरित (ए-बी-सी)	19686837	4403513	24100350	15423646	196415	15620061

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ			
		(रुपए में ₹.)	
	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	
अनुसूची - 22			
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।			
a) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	0	0	
b) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	0	0	
कुल	0	0	
अनुसूची - 23			
व्याज			
a) निश्चित ऋण पर	0	0	
b) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	0	0	
c) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	
कुल	0	0	

संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

अनसूची - 24 लेखों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर नोट्स

1. राजस्व मान्यता खाते ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। मिलान अवधारणा के आधार पर सभी खर्च, संपत्तियों और देनदारियों का हिस्सा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है। तथापि, सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक भुगतान के आधार पर दिए जाते हैं क्योंकि व्यय को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से बुक किया जाता है।
2. अचल संपत्ति और मूल्यहास अचल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत कम संचित मूल्यहास पर किया जाता है। वर्ष के लिए अचल संपत्तियों का मूल्यहास संपत्ति के लिखित मूल्य पर निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया है।

मद	मूल्यहास की वस्तु दर
विबिडिंग	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%
वाहन	15%
कार्यालय उपकरण	15%
कंप्यूटर	40%
विद्युत उपकरण (यूपीएस)	40%
अन्य द्रव्य	15%

मूल्यहास की उपरोक्त दर को आयकर नियम से अपनाया गया है जैसा कि आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट-1 में प्रदान किया गया है। अचल संपत्तियाँ अनुदान सहायता, निर्धारित निधि और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - परीक्षा निधि से बनाई गई संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कार्यालय उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरण जो दिन-प्रतिदिन कार्यालय के कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें अचल संपत्ति नहीं माना जाता है और ऐसी राशि को लेखा वर्ष से राजस्व व्यय के रूप में लिया गया था। 2021-22 और उसके बाद के गैर-आवर्ती राजस्व व्यय को सामान्य शीर्ष के तहत पीएफएमएस प्रणाली पर दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, उन परिसंपत्तियों का मूल्य जिनका पिछले वर्ष में शुद्ध ब्लॉक शून्य है, को भी सकल

3. सरकार से लेखा वर्ष के दौरान परिषद को जो पूंजीगत अनुदान अचल संपत्तियों के संबंध में प्राप्त हुआ था उसको अचल संपत्तियों के संबंध में लेखा वर्ष के दौरान ब्लॉक की सूची से हटा दिया गया है ताकि अनुदान अचल संपत्तियों के संबंध में प्राप्त हुआ था उसको अचल संपत्तियों के संबंध में लेखा वर्ष के दौरान
4. परिषद ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (सामान्य (संशोधन) विनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित सावधि/सावधि जमा में जमा राशि के अतिरिक्त शेषर/डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियों आदि में कोई निवेश नहीं किया है।

5. कॉर्पास/पूजीगत निधि
यह मुख्य रूप से वर्ष 2016 तक आयोजित अखिल भारतीय पूर्व-पशु चिकित्सा परीक्षा और उसके बाद बी.वी.एससी और ए.एच. सहायता अनुदान से अर्जित अचल संपत्तियों का मूल और शुद्ध मूल्य और निर्धारित निधि से हस्तांतरित अचल संपत्तियों का शुद्ध मूल्य।
6. सेवानिवृत्ति लाभ
परिषद ने अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी सहित पेंशन संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए एक पेंशन निधि, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि की स्थापना की है, जिसके लिए परिषद के वित्तीय विवरण में अनुलग्नक-II से V के रूप में शुद्ध देयता/निधि/परिसंपत्तियों को मान्यता दी गई है और बीमांकिक द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रावधान किए गए हैं। किंग गण प्रावधान, लेकिन संबंधित निधि में स्थानांतरित नहीं किए गए, को इस वित्तीय विवरण के बैलेंस शीट (मुख्य खाता) में प्रावधान के रूप में दिखाया गया है।
7. आकस्मिक दायित्व
बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरण में कोई आकस्मिक देयता नहीं।
8. लेखांकन नीतियों और भौतिक प्रभाव में परिवर्तन
परिषद अपने वार्षिक खातों को एक समान प्रारूप में तैयार करती है जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर 1.4.2001 को या उसके बाद लागू होता है। अनुबंध II, III, IV और V इस वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं। हालांकि, अनुबंध-III और अनुबंध V के संबंध में आंकड़े इस वित्तीय वर्ष 2023-24 से बैलेंस शीट में नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि वीसीआई-जीपीएफ खाते और एनपीएस खाते में पड़ी निधि वीसीआई की निधि नहीं है और वीसीआई इन खातों को प्रत्ययी क्षमता में बनाए रख रही है। इसके अलावा, अनुबंध II और IV के संबंध में बैंक बैलेंस और सावधि जमा और अर्जित/उपाजित ब्याज की राशि जो कि ₹. 6,34,36,573/- (रु. छह करोड़ चौत्तीस लाख छत्तीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) है, को बैलेंस शीट की अनुसूची-3 और अनुसूची-9 में शामिल किया गया है जैसा कि 20.05.2025 के पत्र में सलाह दी गई है। शेष राशि ₹.16,00,33,020/- (रु. सोलह करोड़ तैंतीस हजार बीस मात्र) जो अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-IV में दर्शाई गई है, को वीसीआई-पेंशन फंड और लीव इनकैशमेंट/ग्रेच्युटी फंड के अनुसूची-3 और अनुसूची-9 में बैलेंस शीट के साथ विलय के कारण सेट ऑफ कर दिया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है कि उपरोक्त राशि बैलेंस शीट की अनुसूची-7 में प्रावधान के रूप में दर्शाई गई है और साथ ही इसे अनुलग्नक-II और IV में प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है।
9. वित्तीय विवरण तैयार करते समय लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली के सिद्धांत और गोडंग कंसन की अवधारणा, मिलान अवधारणा और निरंतरता को बनाए रखा गया है। इसके अलावा, किसी भी संस्था/सरकार को भुगतान की गई कोई भी अग्रिम राशि। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य की किसी भी लागत के लिए संगठन को अग्रिम के रूप में माना/बुक किया गया है, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट की तारीख तक काम पूरा नहीं किया है।
10. चालू खाते, बचत खाते और जमा खातों में बैंक शेष का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।
11. वर्तमान परिसंपत्तियों में हाथ में डाक टिकट, नकद और बैंक शेष, उपाजित ब्याज और प्रीपेड खर्च, अग्रिम शामिल हैं और जिनका व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य कम से कम शेष राशि में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।
12. जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहित किया गया है।
13. आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।
14. इस परिषद की ओर से विभिन्न अदालती मामलों के बचाव के लिए उच्च न्यायालयों में लगे अधिवक्ताओं को बकाया कानूनी शुल्क देय है। अन्य बकाया खर्चों में वित्तीय विवरणों के अनुसार मेडिकल बिल, टेलीफोन बिल, रखरखाव बिल और अन्य शामिल हैं।
15. अन्य जानकारी:
(i) कोई दावा न किया गया फंड।
(ii) आग, चोरी और गबन के कारण नकदी की कोई हानि नहीं हुई।
16. वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया है।

17. सीपीडब्ल्यूडी ने सिविल कार्य, फनीचर और फिक्स्चर और कुछ विद्युत कार्य के सबध में रुपये 16,17,554/- का बिल जमा किया है और विद्युत कार्य का बिल सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है, इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी को कार्य के लिए रुपये 2307370/- की अग्रिम राशि के एवज़ रु.16,17,554/- के व्यय के रूप में समायोजित किया गया है बैसें शीट के दिन तक।
18. परामर्श शुल्क में परामर्श हेतु पंजीकरण शुल्क, परामर्श हेतु सूचना एवं बुलेटिन में निर्धारित कुछ शर्तों के अनुसार मोप-अप राउण्ड शुल्क की सुरक्षा फीस की जव्ती तथा स्ट्रे राउण्ड शुल्क शामिल है, तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा आरटीआई शुल्क को शुल्क/सदस्यता से संबंधित अनुसूची-14 में दर्शाया गया है।
19. सहायता अनुदान पर अर्जित और भारत सरकार को लौटाए गए ब्याज को इस परिचद की आय के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि यह भारत सरकार से संबंधित है।
20. एक स्टॉफ कार खराब हो गई है लेकिन अभी तक उसका निपटान नहीं किया गया है, इसलिए, शुद्ध मूल्य (सकल मूल्य घटा मूल्यहास) को 31.03.2024 को संपत्ति के रूप में दिखाया गया है।

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

31.3.2024 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची - 25 आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स (उदाहरणात्मक)

1. आकस्मिक देयताएं

11 से 14 बैलेंस शीट की तिथि तक वित्तीय विवरण में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

बैलेंस शीट की तिथि पर वित्तीय विवरण में कोई पूंजी प्रतिबद्धता नहीं है।

3. पट्टा दायित्व

प्लॉट और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए कोई भविष्य की बाध्यता नहीं है।

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्ति पर मूल्य होता है, जो कम से कम बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

5. कराधान

चूंकि लेखापरीक्षा ने पाया है कि वीसीआई द्वारा सृजित निधि भारत की सार्वजनिक निधि है, इसलिए चालू लेखा वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लागू नहीं है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन: इसमें विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन नहीं होता है।

6.1 सी.आई.एफ. आधार पर परिकल्पित आयात का मूल्य: शून्य

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय: परिषद ने यात्रा, विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण आदि के लिए कोई व्यय नहीं किया है। शून्य

6.3 आय: विदेशी मुद्रा में कोई कमाई नहीं होती। शून्य

6.4 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक: लेखा परीक्षक के रूप में, कराधान मामले, प्रबंधन सेवाओं के लिए, प्रमाणन के लिए अन्य शून्य

7. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को पुनः समीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

8. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2024 तक की बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते के साथ संलग्न किया गया है और वे इसका एकीकृत भाग हैं।

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक प्राप्त और भुगतान का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां			(रुप में ₹.)
अनुसूची - 26		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
कोई अन्य रसीद (प्राप्तियां और भुगतान खाता)		2023-24	2022-23
अन्य/आकस्मिक अग्रिम समायोजित (परीक्षा-रु. 150000/-)		150000	0
मौपअप शुल्क 2023-24 के लिए रुपये 8019000/- वापस किया जाना था जिसमें वर्ष के दौरान पहले ही लौटाए गए रुपये 7939000/- और शेष राशि को वापस किया जाएगा।		80000	50000
मार्च-24 का वेतन और भत्ते/एनपीएस अप्रैल-24 के दौरान वितरित करने के लिए पीएफएमएस दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। वेतन रु. 1372712 + नियोजित एनपीएस रु. 13122)		1385834	1286712
सिविलीरिटी मनी प्राप्त		0	7551
भारत सरकार से जीआईए प्राप्त करने के लिए मुख्य खाते के स्वयं के संसाधन परीक्षा खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।		0	10220405
जीआईए-सामान्य पर -रु. 643425/- + जीआईए-वेतन-पर रु. 66361/- + जीआईए-पूज्य परिसंपत्तियों का सृजन रु. 866454/- अर्जित		1576240	0
व्याज सरकार को प्रेषित।		27846	0
डॉ. भौमिक के संबंध में एलआईसी से प्राप्त एलआईसी सदस्यता			
कुल		3219920	11564668

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.3.2024 तक प्राप्त और भुगतान का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां			
		(रुप में ₹.)	
अनुसूची - 27		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
अन्य भुगतान (प्राप्तियां और भुगतान खाता)		2023-24	2022-23
जीआईए-सामान्य पर -रु. 643425/- + जीआईए-वैतन-पर रु. 66361/- + जीआईए-पूज्य परिसंपत्तियों का सृजन रु. 866454/- अर्जित व्याज सरकार को प्रेषित।		1576240	0
भारत सरकार से जीआईए प्राप्त करने के लिए मुख्य खाते के स्वयं के ससाधन परीक्षा खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।		0	10220405
जी.पी.एफ. के लिए व्याज/		0	365074
भूमि निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को		0	2500000
मार्च-23 का वैतन और भत्ते अप्रैल-23 के दौरान वितरित करने के लिए पीएफएमएस दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा खाते/होल्डिंग से स्थानांतरित किये गए।		1286712	0
आफीसर को एलआईसी से एलआईसी सदस्यता प्राप्त हुई प्रेषित		27846	0
कुल		2890798	13085479

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)				
भारतीय इकाई पथ चिकित्सा परिषद का नाम				
31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान				
(रुप में)		(रुप में ₹.)		
वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
प्रारम्भिक शेष				
a) हाथ में नफ़ाद	15	15	17058436	19605666
b) बैंक बैलेंस			26078206	14037881
i) चालू खातों में अनुलग्नक के अनुसार चालू खातों में			0	0
ii) एफ.डी. परीक्षा में केवल बैंक ऑफ़ बड़ादा, बी.सी. प्लेस, भोकाजी			0	0
कामा प्लेस नई दिल्ली के साथ अनुलग्नक-1 के अनुसार				
iii) बचत खाते				
II. प्राप्त अनुदान				
a) भारत सरकार की ओर से अनुसूची 13			0	0
भारत सरकार की ओर से अनुसूची 3				
b) राज्य सरकार से				
c) अन्य स्रोतों से (विवरण)				
(पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए)				
III. निवेश पर आय				
a) निष्पत्ति/बढ़ोबस्ती निधि अनुसूची-3)				
b) स्वयं के फंड (अन्य निवेश)				
अगले पेज पर				
362018616	261289372	अगले पेज पर	65312374	33643547

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) भारतीय इकाई पथ चिकित्सा परिषद का नाम 31.03.2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान					
प्राप्तियां	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
पूरे पृष्ठ से जारी रहेगा	362018616	261289372	पूरे पृष्ठ से जारी रहेगा	65312374	33643547
IV व्याज प्राप्त किया			IV अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय		
a) बैंक जमा पर अनुसूची-17 (बैंक ऑफ बडोदा के पास एफडीआर का विवरण अनुलग्नक I के अनुसार है)	10956571	8362332	a) अचल संपत्तियों की खरीद (अनुसूची- 8)	0	0
b) ऋण, अग्रिम आदि।	0	0	b) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	0	0
			V अधिशेष/अनुदान/धन/ऋण की वापसी		
V अन्य आय (निर्दिष्ट करें)					
a) बिक्री/सेवार (अनुसूची - 12)	760000	677316	a) भारत सरकार को (अनुसूची 13 अनुसार)	52394796	0
b) शुल्क/सदस्यता (अनुसूची - 14)	7929427	7951622	b) राज्य सरकार को	0	0
c) विविध सौद (अनुसूची- 18)	128221	93600	c) धन के अन्य प्रदाताओं के लिए	0	0
			d) भारत सरकार को (अनुसूची 3 अनुसार)	0	0
VI उधार ली गई राशि	0	0	VI वित्त प्रभार (व्याज)	0	0
VII कोई अन्य रसीदें (विवरण दें) (अनुसूची 26 के अनुसार)			VII अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें) (अनुसूची- 27 के अनुसार)	2890798	13085479
	3219920	11564668	VIII समापन शेष		
			a) होय में नकदी	15	15
			b) बैंक शेष (अनुलग्नक-I के अनुसार)		
			i) चल/बचत खातों में (अनुलग्नक-I के अनुसार)	46867984	35698604
			ii) जमा खातों में परीक्षा (अनुलग्नक-I के अनुसार)	217446788	207511265
कुल	384912755	289938910	कुल	384912755	289938910

અનબંધ

2023-24

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद 31.03.2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले अनुबंध			
अनुलग्नक - I	वर्तमान साल 2023-24	(रूप में ₹.)	पिछला वर्ष 2022-23
31.03.2024 तक बैंक शेष और जमा का विवरण			
विवरण			
बैंक ऑफ बरोदा बीसी प्लेस ब्रांच, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 के साथ खाते			
89830100020469 बीसीआई-जीआईए (सामान्य) बचत	3567307		0
89830100020465 बीसीआई-जीआईए (वैतन) बचत	4332564		0
89830100020526 बीसीआई-जीआईए (पूजी) बचत	0		0
89830200001073 बीसीआई एस्को खाता	27274753		21750255
89830200001297 सीवीई खाता	267800		267800
89830200001197 -बी.सी.आई. चालू	0		2394796
भारतीय स्टेट बैंक			
34835947937 बीसीआई-परीक्षा कोष (प्रारंभिक राशि 9755726/- घटा वर्ष के दौरान बैंक ऑफ बरोदा के बीसीआई-परीक्षा कोष में हस्तांतरित राशि 10000/-)	9745726		9755726
कुल	45188150		34168577
बैंक ऑफ बरोदा बीसी प्लेस ब्रांच, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 के साथ खाते			
89830200001550 परीक्षा खाता चालू	1679834		1530027
योग	46867984		35698604
सावधि जमा बैंक ऑफ बरोदा, बीसी प्लेस शाखा, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली			
एफडीआर/स्वीप (परीक्षा कोष)			
एक वर्ष की अवधि के लिए	86436759		81258830
दो वर्ष की अवधि के लिए	19854027		19854027
एक वर्ष की अवधि के लिए	55395321		51681536
एक वर्ष की अवधि के लिए	19210681		17966872
स्वीप एक महीने के लिए	150000		300000
स्वीप एक महीने के लिए	1800000		33950000
स्वीप एक महीने के लिए	2450000		2425000
स्वीप एक महीने के लिए	275000		75000
स्वीप एक महीने के लिए	31875000		
सकल योग	217446788		207511265
बैलेंस शीट के वित्तीय विवरण अनुसूची-11 में स्थानांतरित एफडी की शुद्ध राशि	217446788		207511265

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - पेंशन निधि 31 मार्च 2024 तक पेंशन फंड की बैलेंस शीट			
अनुलग्नक - II			(रुपए में ₹.)
कोर्पस फंड/कैपिटल फंड/देनदारियां		वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
देनदारियां			
कोर्पस फंड/कैपिटल फंड			
वर्तमान देनदारियां		0	0
पेंशन निधि	अनुसूची - I	190496481	176682046
कुल		190496481	176682046
संपत्तियां			
वर्तमान संपत्ति			
सावधि जमा/अर्जित ब्याज/प्राप्य और बैंक शेष	अनुसूची - II	190496481	176682046
कुल		190496481	176682046

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद-वी.सी.आई. पेंशन फंड वी.सी.आई. पेंशन फंड की बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31.3.2024 तक			
	वर्तमान साल 2023-24	(रुप में ₹.)	पिछला वर्ष 2022-23
अनुबन्ध - II (ए)			
अनुसूची - I (पेंशन फंड)			
वर्तमान देनदारिया			
प्रारंभिक शेष राशि	176682046		162508944
जोड़ें: प्राप्त शुद्ध ब्याज			
ब्याज रुपए 2251742/- + उपार्जित ब्याज समापन शेष रुपए 1570225/- - उपार्जित ब्याज प्रारंभिक शेष रुपए 1460779/-	2361188		2633819
घटाएं: भुगतान की गई निवल पेंशन (भुगतान किया गया- 2213196/- + बैंक शुल्क रु.99/-)=2213295/-	2213295		2125259
जोड़ें: पिछले वित्तीय वर्ष बीमा/कंक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए किए गए प्रावधान।	13666542		13666542
कुल	190496481		176682046
अनुसूची- II (पेंशन फंड)			
वर्तमान संपत्ति			
बैंक में नकद (बचत खाता)	635263		1048576
सावधि जमा	42050402		41598642
उपार्जित ब्याज (बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी प्लेस नई दिल्ली के साथ)	1570225		1460779
खाते से प्राप्य अशदान (132574049/- + 13666542)	146240591		132574049
कुल	190496481		176682046

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - पेंशन निधि पेंशन निधि की प्राप्ति और भुगतान 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए					
अनुबंध - II (सी)			(रुपए में ₹.)		(रुपए में ₹.)
	वर्तमान साल	पिछला वर्ष	भुगतान		वर्तमान साल
प्राप्तियां	2023-24	2022-23			2023-24
प्रारंभिक शेष					2022-23
हाथ में नकदी					
बैंक बैलेंस					
i) बचत खाता	1048576	3109702	पेंशन/अन्य प्रभार		2213196
ii) सावधि जमा	41598642	38776264	बैंक प्रभार		99
			समापन बैंक बैलेंस		
			बचत खाता (एसबीआई ₹. 1572/- + बैंक आफ बरोदा ₹. 633691/-)		
	27168	64133	बैंक ऑफ बरोदा में सावधि जमा		635263
	2224574	2822378	1. Rs. 7752185/- तीन साल के लिए		42050402
			2. Rs. 10585758/- दो साल के लिए		
			3. Rs. 6585859/- तीन साल के लिए		
			4. Rs. 2345585/- एक साल के लिए		
			5. Rs. 10715407/- एक साल के लिए		
			6. Rs. 4065608/- दो साल के लिए		
कुल	44898960	44772477	कुल		44898960
					44772477

वितीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - जी.पी.एफ 31 मार्च 2024 तक बैलेंस शीट			
		(रुप में ₹.)	
	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	
अनुलग्नक - III			
देनदारियां			
कॉर्पस फंड / कैपिटल फंड	0	0	
वर्तमान देनदारियां			
सामान्य भविष्य निधि	अनुसूची 1 13760037	18297867	
कुल	13760037	18297867	
संपत्तियां			
वर्तमान संपत्ति			
सावधि जमा और बैंक बैलेंस	अनुसूची 2 13760037	18297867	
कुल	13760037	18297867	

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद जी.पी.एफ. वी.सी.आई.- जी.पी.एफ. की बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31.3.2024 तक			
अनुबंध - III (ए)			
अनुसूची - 1 - जी.पी.एफ.	वर्तमान साल 2023-24	(रुपए में ₹.) पिछला वर्ष 2022-23	
वर्तमान देनदारियां			
जी.पी.एफ. फंड			
प्रारंभिक शेष			
जोड़ें:	18297867	17085185	
सब्सक्रिप्शन/एडवांस/रिकवरी			
सब्सक्राइबर को दिया गया ब्याज	2086000	2170500	
घटायें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज से अधिक भुगतान किया गया ब्याज	1143065	1235776	
	105297	1098200	
घटायें: निकासी	21421635	21589661	
	7661598	3291794	
फंड को बैलेंस शीट में स्थानांतरित किया गया	13760037	18297867	
अनुसूची - 2 जी.पी.एफ.-			
वर्तमान संपत्तियां	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	
बैंक शेष (₹.9194/-) जमा सावधि जमा (₹.13351799/-)	13360993	17932985	
उपाजित ब्याज (समापन)	399044	364882	
कुल	13760037	18297867	

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - जी.पी.एफ. वीसीआई-जीपीएफ की आय और व्यय 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए				
अनुबंध - III (बी)				
विवरण		वर्तमान साल 2023-24	(रुप में ₹.)	पिछला वर्ष 2022-23
अर्जित व्याज				
जोड़: अर्जित व्याज (समापन)		1003606	2774515	
कुल		399044	364882	
घटाएँ: उपार्जित व्याज खोलना		1402650	3139397	
कुल		364882	805421	2333976
कुल		1037768		2333976
सब्सक्राइबर को व्याज				
कुल		1143065		1235776
		1143065		1235776
व्याज की अधिकता। पिछले वर्ष से वर्ष के दौरान अर्जित की गई राशि से अधिक वितरित। संचय और बैलेंस शीट में स्थानांतरण के लिए		-105297		1098200

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - जी.पी.एफ. वीसीआई-जीपीएफ की प्राप्तियां और भुगतान 31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए						
अनुबंध - III (सी)				(रुपए में :)		(रुपए में र.)
प्राप्तियां	वर्तमान साल	पिछला वर्ष	भुगतान	वर्तमान साल	पिछला वर्ष	
	2023-24	2022-23		2023-24	2022-23	
प्रारंभिक शेष						
बैंक बैलेंस:-						
बचत खाता	3666274	3769379	निकासी	7661598	3291794	
बैंक ऑफ बड़ौदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली के साथ सावधि जमा, विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है	14266711	11983602				
जी पी. एफ. योगदान/अग्रिम वसूली	2086000	2170500				
वर्ष के लिए व्यय।	0	365074				
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	914234	2283109				
बचत खाते पर अर्जित ब्याज	89372	126332				
पिछले वर्ष के लिए प्राप्य ब्याज।	0	526783	क्लोजिंग बैलेंस (बैंक बैलेंस) द्वारा			
			बचत खाता (एसबीआई- 5014/-+बैंक आफ बरौदा - 4180/-)	9194	3666274	
			बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा			
			1. Rs.2514725/- तीन साल के लिए			
			2. Rs.2556632/- तीन साल के लिए			
			3. Rs.3488483/- तीन साल के लिए			
			4. Rs.4791959/- एक साल के लिए			
				13351799	14266711	
कुल	21022591	21224779		21022591	21224779	

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)			
संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद- अवकाश नकदीकरण और उपदान वीसीआई-अवकाश नकदीकरण और ग्रेज्युटी की बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 तक			
अनुबंध - IV	वर्तमान साल	पिछला वर्ष	(रुपए में ₹.)
	2023-24	2022-23	
देनदारियां			
कॉर्पस फंड / कैपिटल फंड	0	0	
वर्तमान देनदारियां			
अवकाश नकदीकरण और ग्रेज्युटी निधि	अनुसूची - I	32973112	29070406
कुल	32973112	29070406	
संपत्ति			
वर्तमान संपत्ति			
सावधि जमा/अर्जित ब्याज और बैंक बैलेंस	अनुसूची - II	32973112	29070406
कुल	32973112	29070406	

संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अवकाश नकदीकरण एवं गेच्युटी

संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी वी.सी.आई. अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी की बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31.3.2024 तक

अनुबन्ध - IV (ए)		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
अनुसूची - 1 (छट्टी नकदीकरण और उपदान)		2023-24	2022-23
वर्तमान देनदारियां		29070406	25465552
प्रारंभिक शेष राशि		1185783	887931
जोड़: अर्जित ब्याज रुपये 1152352/- + उपाजित ब्याज। (अंतिम शेष) रुपये 218101/- ग्लोस्स रुपये 1370453/- घटाएँ: उपाजित ब्याज प्रारंभिक शेष रुपये 184670/-)		30256189	26353483
जोड़: पिछले वित्तीय वर्ष बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए किए गए प्रावधान।		2716923	2716923
घटाएँ: मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर भुगतान किया गया अवकाश नकदीकरण		0	0
मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर भुगतान किया गया ग्रेच्युटी		0	0
कुल		32973112	29070406
अनुसूची - 2 (छट्टी नकदीकरण और उपदान)		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
वर्तमान संपत्ति		2023-24	2022-23
सावधि जमा रसीद		18454165	17315555
बैंक में नकद (बचत खाता)		508417	494675
बीमाकिक मूल्य के अनुसार वीसीआई खाते से प्राप्त अंशदान (Rs.11075506+Rs.2716923)		13792429	11075506
उपाजित ब्याज (समापन शेष)		218101	184670
कुल		32973112	29070406

संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - अवकाश नकदीकरण और उपदान
वीवी सी आई- अवकाश नकदीकरण और उपदान की प्राप्ति एवं भुगतान वर्ष को 31.03.2024 समाप्त

79

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - नई पेंशन योजना वीसीआई-नई पेंशन योजना की बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 तक			
अनुलग्नक - V		वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23 (रुपए में ₹.)
देनदारियां			
कोपिस फंड / कैपिटल फंड		0	0
वर्तमान देनदारियां			
एनपीएस फंड	अनुसूची - I	261365	254201
कुल		261365	254201
संपत्ति			
वर्तमान संपत्ति			
बैंक में जमा राशि	अनुसूची - II	261365	254201
कुल		261365	254201

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद-नई पेंशन योजना वी.सी.आई. नई पेंशन योजना की बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31.3.2024 तक			
		वर्तमान साल	पिछला वर्ष (रुपए में ₹.)
अनुलग्नक - V (ए)			
अनुसूची - 1 (नई पेंशन योजना)		2023-24	2022-23
वर्तमान देनदारियां			
प्रारंभिक शेष राशि		254201	247256
जोड़ें: (वर्ष के दौरान अर्जित व्याज एवं कर्मचारी योगदान+नियोक्ता योगदान सहित)		269153	248006
		523354	495262
घटायें: (प्रेषित कर्मचारी योगदान Rs.109162 + नियोक्ता योगदान 152821/-)		261983	241061
बैंक प्रभार		6	0
कुल		261365	254201
अनुसूची - 2 (नई पेंशन योजना)			
वर्तमान संपत्ति			
		वर्तमान साल	पिछला वर्ष
		2023-24	2022-23
		0	0
बैंक में शेष राशि (बैंक ऑफ बड़ौदा, बीसी प्लेस, नई दिल्ली में बचत खाता)		261365	254201
कुल		261365	254201

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) संस्था का नाम - भारतीय पशु चिकित्सा परिषद - नई पेंशन योजना वीसीआई-नई पेंशन योजना की प्राप्ति और भुगतान वर्ष 31.03.2024 को समाप्त के लिए					
अनुलग्नक-V (बी)			(रुपए में ₹.)		(रुपए में ₹.)
प्राप्तियां	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	वर्तमान साल 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
प्रारम्भिक शेष					
हाथ में नकदी	0	0			
बैंक बैलेंस					
i) बचत खाता	254201	247256	पेबिल कर्मचारी अंशदान	109162	100442
ii) सावधि जमा	0	0	पेबिल नियोजित अंशदान	152821	140619
			बैंक प्रभार	6	0
			समापन बैंक बैलेंस		
व्याज प्राप्त			बैंक ऑफ बड़ौदा, बी सी प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में बचत खाता	261365	254201
i) बैंक खाता	7170	6945			
ii) एफडी पर	0	0			
कर्मचारी अंशदान	109162	100442			
नियोजित अंशदान	152821	140619			
कुल	523354	495262	कुल	523354	495262